स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–22, अंक–8, श्रावण–भाद्रपद 2071, अगस्त 2014

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

जीएम फसलों के मामले में हमे अमरीका से तुलना नहीं करनी चाहिए। वहां खेती का दायरा और उसकी पद्धति अलग है। जीएम बीज बेचने वाली कम्पनियां भारत में अपना एकाधिकार जमाना चाहती हैं। हमारे किसानों को उन कम्पनियों पर ही निर्भर होना पड़ेगा।

कवर पेज

अनुक्रम

आवरण कथा :
जी.एम. फसलों के खुले जमीनी परीक्षण
– स्वदेशी संवाद /6

सामयिकी :
जैव तकनीक – खेती और सेहत के लिए है खतरा
– प्रमोद भार्गव /8

आंदोलन : जनता के साथ वायदा खिलाफी /11

खाद्यान्न सुरक्षा :
सर्वोपरि है खाद्यान्न सुरक्षा
– देविन्दर शर्मा /12

दृष्टिकोण :
डब्ल्यू.टी.ओ में भारत–अमरीकी टकराव
– डॉ. अश्विनी महाजन /14

वक्तव्य :
डब्ल्यू.टी.ओ में भारत का मत
– श्रीमती निर्मला सीतारामण /16

अर्थव्यवस्था :
उम्मीदों पर कायम है अर्थव्यवस्था
– आलोक पुराणिक /19

ऊर्जा संकट :
ऊर्जा संकट की चुनौती
– भारत डोगरा /21

एकात्म मानव दर्शन : बढ़ता पर्यावरण संकट और एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता
– डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा /23

नजरिया : चीन के उगते सूरज को पकड़िये
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /27

संस्कृति : क्यों है खास चातुर्मास
– अरुण तिवारी /29

मुद्दा : देशी भाषाओं में हो भर्ती परीक्षाएं
– वेदप्रताप वैदिक /32

चर्चा : अपनी ताकत को पहचाने देश
– निरंकार सिंह /34

पाठकनामा/4, समाचार परिक्रमा/36

पाठकनामा

भाजपा भी चली विदेशी निवेश की राह पर

देश में एक बार फिर विदेशी निवेश जोरों पर चल रहा है अब की यह काम कोई और नहीं बल्कि देशहित की बात करने वाली भाजपा सरकार कर रही है। चुनाव से पहले विदेशी निवेश का विरोध करना, कालेधन को देश में लाने की बात करने वाले खुद इन सवालों पर चुप्पी साध कर बैठ गए है। बीमा व्यवसाय में प्रत्यक्ष विदेश निवेश 49 प्रतिशत करना, रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत करना और रेलवे के ढांचागत क्षेत्र में 100 प्रतिशत मंजूरी देना – क्या यह देश हित में है? इसके अलावा अब काले धन की बात करना ही खत्म हो गया है साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत की जनता पर थोपा जा रहा है। जहां भारतीय जनता पहले से बहुराष्ट्रीय कंपनियों से परेशान है अब आने वाले समय में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश होना लगभग तय है। ऐसा लगता है भाजपा भी कारपोरेट जगत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में हो चुकी है।

– भीम भण्डारी, मीडिया अपार्टमेन्ट, अभय खण्ड, गाजियाबाद

खेती की जानकारी भी प्रकाशित हो

मैं स्वदेशी पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। हाल ही में इंटरनेट से मुझे जानकारी मिली कि स्पेन के अलमेरिया में 26,000 हेक्टेयर में पॉलीहाउस खेती/ग्रीन हाउस खेती होती है जिससे वे पूरे यूरोप में फल और सब्जियों के आपूर्तिकर्ता बने हैं। इससे मैं काफी उत्साहित हुआ। क्या खेती की यह विधि हमारे उत्तराखण्ड के लिए भी अत्यंत लाभदायक हो सकती है जो यहां से हो रहे पलायन को रोकने में योगदान दें। आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर कोई सामग्री पत्रिका में प्रकाशित करें या उत्तराखण्ड के लिए आज कौन से खेती करना उचित है इसकी जानकारी भी प्रकाशित करें।

– प्रदीप कुमार गैरोला, 51–3/2, हरिद्वार रोड, देहरादून–248001

कब खत्म होगी भारत में गरीबी

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के बेहद गरीब लोगों में से एक तिहाई लोग भारत में रहते है। इस रिपोर्ट ने देश के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? हर बार गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाती है फिर भी गरीबी कम नहीं हो रही है। गरीबों की योजनाएं भ्रष्टतंत्र के भेंट चढ़ रहा है। कितनी शर्म की बात है कि आजादी के बाद भी भारत में गरीबों की संख्या कम नहीं हुई।

– मनोज कुलियाल, सेक्टर–3, आर.के.पुरम्, नई दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 15

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित क र ।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

भविष्य में सैनिकों के सिर कलम करने जैसी घटना हुई तो भारत की जवाबी कार्रवाई त्वरित और भारी होगी।

– जनरल दलबीर सिंह

सौ प्रतिशत एफडीआई लागू होने से रेलवे का तेजी से विकास होगा साथ ही रुकी रेल परियोजनाओं के लिए भी धन जुटाने में आसानी होगी।

– विवेक सहाय
रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष

डब्ल्यू.टी.ओ. में दृढ़ता के लिये नरेन्द्र मोदी को बधाई। गलत समझौते से अच्छा है समझौता न करना।

– डॉ. अश्विनी महाजन
राष्ट्रीय सह–संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

विकासशील देशों के लिए अपने गरीब किसानों हेतु कुछ न्यूनतम उपाय सुनिश्चित कर पाना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने लिए तथा घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त उत्पादन कर सकें।

– श्रीमती निर्मला सीतारामण
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

हम जीएम फसलों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं जो जीवन को मौत के मुंह में धकेलने वाले हालात पैदा करे। इससे अच्छा है देश में जो हर साल लाखों टन अनाज, सब्जियां और फल भंडारण के कुप्रबंधन के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस बर्बादी को रोकने के प्रयास तेज करें।

– प्रमोद भार्गव

समय की जरूरत के मुताबिक अब श्रम कानूनों में लचीलापन लाने और इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए श्रम नियमों को सरलतापूर्वक लागू करना होगा।

– जयंतीलाल भंडारी

संपादकीय

न दबाव न झुकाव, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार

सरकार का दायित्व जनता के प्रति है न कि किसी बाहरी देश या बहुराश्टीय कंपनियों के प्रति। केंद्र में सत्तारुढ़ सरकार यह जानती है और इस सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले राष्ट्रवादी संगठन यह प्रत्यन भी कर रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही ठीक से समझे और निभाए। हाल ही में दो अवसर ऐसे आएं जहां केंद्र के सामने यह चुनौती थी कि अपने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ किए वायदे निभाए या उन वायदे की फिक्र किए बिना जनता के साथ खड़ी हो। एक अवसर था। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ में अमरीका, यूरोप और कुछ अन्य विकसित देशों के दबाव में आकर कृषि और सब्सिडी से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर उनके मनमाफिक समझौते पर दस्तखत करने का और दूसरा कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में जिनेटिकली मोडिफाइड यानी जीएम फसलों के खेत में सीधे परीक्षण की अनुमति देने का। अच्छा है कि दोनों मुद्दों पर सरकार ने स्वतंत्र फैसले किए और जनता के हक में किसी तरह के समझौते से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि इन दोनों मामलों में भारत पर आसन्न खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। न तो अमरीका ने डब्ल्यूटीओं में हार मानी है और न ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत को अपने जीएम फसलों का डंपिंग ग्राउंड बनाने का इरादा टाला है। बल्कि यों कहें कि भारत पर हर तरह से और दबाव बढ़ने वाला है। अमरीका बहुत जल्दी में है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्हाइट हाउस के मेहमान बने। जिस मोदी को वीजा देने के लिये अमरीकी प्रशासन ने इनकार कर दिया था वहीं अमरीकी प्रशासन अपनी संसद में मोदी का भाषण रखने को आतुर नजर आ रहा है। पहले अमरीकी विदेश मंत्री और फिर र,क्षा मंत्री का भारत दौरा और मोदी का गुनगान करना यह बताता है कि ओबामा सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के उस प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेचैन ही नहीं है, जिसने आम चुनाव में सभी अकालनों और अनुमानों को धत्त बताकर देश में एक मजबूत और स्थायी भाासन व्यवस्था की स्थापना की है, बल्कि उस प्रधानमंत्री से मिलने को आतुर है जिसने अपने चुनाव पूर्व भाषणों में अमरीकी नीतियों का खुल कर विरोध किया था और उन क्षेत्रों में भारतीय बाजार न खोलने का वायदा किया था जिन क्षेत्रों पर हमारे उद्यमी अपनी जीविका के लिए पूरी तरह आश्रित हैं और उनमें विदेशी कंपिनयों के धुसने से उनकी आजीविका पर सीधे हमला हो सकता है। जैसे खुदरा किराना क्षेत्र में विदेशी निवेश की मंजूरी। अमरीका ने पिछली यूपीए सरकार पर जबर्दस्त दबाव बनाकर कई ऐसे फैसले करा लिए थे जिनका परिणाम काफी भयावह हो सकते है। जीएम फसलों का भारत में खेती कराने के पीछे भी अमरीकी और यूरोपीय लॉबी ही सक्रिय रही। जीएम कपास के बाद बैगन और अन्य खाद्य पदार्थों की खेती का परीक्षण देश में करने की अनुमति देने की पहल यूपीए सरकार ने ही दी। यह तो भला हो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जिसने इस मामले पर केंद्र को आगे बढ़ने से रोक रखा है। पर हम सभी जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को हमारे यहां लाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती रही हैं। यह संभव नहीं है कि इस सरकार पर ये कंपनियां दबाव न डाले। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने ही अधिकारियों के एक समूह का गठन जीएम फसलों के परीक्षण व उनकी खेती करने की अनुशंसा के लिए कर दिया था। इस सरकार के गठन के साथ ही यह खबर आई कि अधिकारियों के इसी समूह के दबाव में सरकार जीएम फसलों के खेत में परीक्षण के लिए अनुमति देने जा रही है। इसके पहले की कोई आधिकारिक घोषणा हो स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठनों ने सरकार को चेताया और यह अपील की कि यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इरादे सफल हो गए और हमारे खेतों में जीएम फसल का परीक्षण होने लगा तो फिर इसके व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। क्योंकि एक बार यदि जीएम फसलें लग गई तो फिर उन्हें हटाना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि न तो इन फसलों से बीज निकल सकता है ओर न इनसे पड़ने वाले हानिकारक असर को रोका जा सकता है। खेतों पर तो इसका असर होगा ही मानव जाति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने फिलहाल जीएम फसलों के खेत में परीक्षण पर रोक लगा दी है। डब्ल्यूटीओं के मंत्रिमंडलीय बैठक में भारत का कड़ा रुख रहेगा इसकी झलक स्वयं प्रधानमंत्री ने दी है। अमरीकी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि भारत कृषि सब्सिडी के मामले पर कहीं भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के किसानों और 125 करोड़ भारतीयों के खाद्य सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भले ही डब्लूटीओ का अस्तित्व रहे या ना रहे। हालांकि अमरीकी विदेश मंत्री इस मामले में भारत से नाराज होकर गए। पर भारत का नजरिया नहीं बदला। अब सरकार के साथ हर राष्ट्रभक्त संगठन या व्यक्ति का दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भाक्तिशाली देश से भी डरने या उसके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। आखिर सबका पहला दायित्व देश की जनता के प्रति है। कूटनीति और विदेश नीति भी इसी दायित्ववोध के साथ बने या चले।

जी.एम. फसलों के खुले जमीनी परीक्षण

जीएम फसलों के मामले में हमे अमरीका से तुलना नहीं करनी चाहिए। वहां खेती का दायरा और उसकी पद्धति अलग है। जीएम बीज बेचने वाली कम्पनियां भारत में अपना एकाधिकार जमाना चाहती हैं। हमारे किसानों को उन कम्पनियों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। आज करीब 1000 करोड़ रूपए जीएम बीज वाली कंपनी भारत में बीटी कॉटन का बीज बेचकर जमकर मुनाफा कमाया है। जो बीज वह यहां बेच रही है, उसकी लागत महज 20 रूपए हैं और 940 रूपए में वह उसे बेच रही है।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत जी.ई.ए.सी. (जनैटिक इंजीनियरिंग एपरेजल कमेटी) द्वारा चावल, गन्ना, चना, बीटी बैंगन सहित 15 फसलों के खुले जमीनी परीक्षण के लिए 18 जुलाई को अनुमति देने और में स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ द्वारा विरोध के बाद उसे ठंडे बस्ते में डालने के सरकारी निर्णय के बाद देश में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।

जी.एम. का विरोध कर रहे संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तिओं का कहना है कि अगस्त 2013 में कृषि पर स्थाई संसदीय समिति ने कहा था कि जीएम फसलों के सभी फील्ड ट्रायल्स को किसी भी रूप में अगर वे हो रहे हैं, भले ही प्रच्छन्न रूप से हो रहे हों, उन्हें रोकना चाहिए, जब तक कि मानव, धरती और जैव विविधता पर इनके प्रभाव पता नहीं लग जाते। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति, जिसमें संबंधित क्षेत्रों के बड़े वैज्ञानिक शामिल थे, ने भी जी.एम. फसलों के खुले में परीक्षणों में निहित खतरों के बारे में कहा था और यह सिफारिश की थी कि जब तक नियामक व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक जी.एम. फसलों का खुले में परीक्षण नहीं होना चाहिए। यही नहीं वर्तमान में सत्तासीन

■ स्वदेशी संवाद

भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं ने समय–समय पर जी.एम. फसलों के परीक्षण के विरोध में वक्तव्य ही नहीं दिए, बल्कि पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र में भी यही बात रखी गई कि मानव एवं मिट्टी पर दीर्घकालिक प्रभावों का पूरा वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं हो जाता तब तक ट्रायल्स की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उधर जी.एम. समर्थक सरकार द्वारा

जी.एम. फसलों के खुले परीक्षण ठंडे बस्ते में डालने के निर्णय को प्रतिगामी कदम बताते हुए यह तर्क दे रहे हैं कि इस कारण से देश में तकनीक का विकास रूक जायेगा। उनका यह भी कहना है कि देश में उत्पादन बढ़ाने का यह अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे देश में अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाकर देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और मंहगाई को भी काबू किया जा सकता है।

जी.एम. विरोधियों का कहना है कि मसला केवल मात्र संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र का ही नहीं है, जी. एम. फसलों का परीक्षण देश की खाद्य सुरक्षा, सम्पूर्ण मानवता, पर्यावरण को खतरे में डालने वाला है। दरअसल, जीएम फसलों का तकनीकी पक्ष यह है कि इनमें कोई बाहर का जीन (फॉरेन जीन) साथ आता है जो कि अपरिवर्तनीय होता है, उसे वापस उस फसल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में अगर भविष्य में पता लगे कि मानव के लिए वह जीन

हानिकारक हैं तो फिर उसका समाधान क्या होगा?

सच्चाई यह है कि जीएम फसलों से उत्पादन बढ़ने का भी कोई मजबूत वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। सिर्फ इनके जरिए किसी फसल के स्वरूप को बदला जा सकता है। मसलन, टमाटर के छिलके को मोटा किया जा सकता है लेकिन उसका उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। आज तक जी.एम. के समर्थक ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके अनुसार यह माना जा सके कि जी. एम. मदद से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। गौरतलब है कि जिस बी.टी. कपास की सफलता का बार–बार हवाला दिया जा रहा है, की सच्चाई यह है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बी. टी. कपास की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता 3.5 प्रतिशत वार्षिक ही बढ़ी, लेकिन फिर भी कपास के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि की जो बात की जा रही है, वो इसलिए हुआ क्योंकि अन्य फसलों जैसे खाद्यान्न, दालों और तिलहनों में लगी भूमि पर अब कपास की खेती होने लगी है, जिससे न केवल किसान की खाद्य सुरक्षा बाधित हुई है, देश की निर्भरता आयातित दालों और तेलों पर भी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ किसान की बढ़ती लागतों और घटती आमदनियों के चलते किसानों में आत्महत्या की प्रवृति बढ़ती ही जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी लाखों किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। सर्वाधिक आत्महत्याएं करने वाले किसान बी.टी. कपास के उत्पादक हैं, यह भी एक कड़वी सच्चाई है।

आज किसान अपने पशुओं के लिए खेत के आस–पास से चारा इकट्ठा कर लेता है, गांवों और आदिवासी इलाकों के लोग अपने लिए भोजन का इन्तजाम भी आस–पास के जंगलों से कर लेते हैं। आज जिन जी.एम. फसलों का परीक्षण होने की बात चल रही है, वे उन पर खरपतवार नाशकों का असर नहीं होता है। अमरीका जहां श्रम की कमी है, वहां मशीनों से खरपतवार नाशक डाले जाते हैं और ऐसी फसलों पर खरपतवार नाशक असर नहीं करते। भारत में भी ऐसी फसलों को लाकर मशीनों से खरपतवार नाशक डालकर उनका प्रयोग बढ़ाने की बात चल रही है। भारत में अभी तक खरपतवारों को हाथों से हटाने की पद्धति है। लेकिन अगर इन फसलों का इस्तेमाल होने लगा और खरपतवार मशीनों से डाले जाने लगे, तो उससे इन फसलों पर तो असर नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी वनस्पति नष्ट हो जाएगी। जिससे आस–पास की सारी जैव विविधता खत्म हो जाएगी। ऐसे में किसान को अपने पशुओं के लिए कोई चारा भी नहीं मिल पाएगा। अमरीका में कोई जैव विविधता नहीं बची है। मोनसेंटो द्वारा ग्लाईफोसेट और डाऊ कैमिकल द्वारा 2,4;डी नाम के जो खरपतवार नाशक बेचे जा रहे हैं वे न केवल विविध वनस्पति और जैव विविधता को खत्म करने वाले हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य जैसे स्कीन कैंसर और हार्मोन विसंगतियां भी पैदा करने वाले हैं। ये उस किस्म के खरपतवार नाशक हैं, जो अमरीका द्वारा जंगली वनस्पतियों को समाप्त करते हुए विएतनाम युद्ध में जगलों में विएतनामी सैनिकों के ठिकाने पता करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे।

जीएम फसलों के मामले में हमे अमरीका से तुलना नहीं करनी चाहिए। वहां खेती का दायरा और उसकी पद्धति अलग है। जीएम बीज बेचने वाली कम्पनियां भारत में अपना एकाधिकार जमाना चाहती हैं। हमारे किसानों को उन कम्पनियों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। आज करीब 1000 करोड़ रूपए जीएम बीज वाली कम्पनियां भारत में बीटी कॉटन का बीज बेचकर मोनसेंटो ने जमकर मुनाफा कमाया है। जो बीज वह यहां बेच रही है, उसकी लागत महज 20 रूपए हैं और 940 रूपए में वह उसे बेच रही है। चीन में यही बीज मोनसेंटो 40 रूपए में बेचती है। भारत को आसान बाजार मानकर ये कम्पनियां देश के खाद्य तंत्र पर एकाधिकार चाहती है।

हम ही लाए थे हरित क्रांति

हमारी खेती का बुरा हाल करने में सरकारों का कम दोष नहीं है। जब ये उदारीकरण का दौर चला, तब से केन्द्रीय बजट में खेती पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया गया। अभी बजट का 1 फीसद से भी कम खर्च कृषि पर हो रहा है। जब कृषि पर सरकारें ध्यान नहीं देंगी, हमारे कृषि विकास केन्द्रों को अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक खेती का यही हाल रहेगा। आज हमारे वैज्ञानिक मोनसेंटो जैसी कम्पनी के प्रोजेक्ट के भरोसे चल रहे हैं जबकि हरित क्रांति ये ही वैज्ञानिक लेकर आए थ। कृषि प्रधान देश में आज कृषि हाशिए पर है। इसे सुधारने के लिए जरूरी है कि सरकारें किसानों को पूरी मदद करें। उनके लिए पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था करें। बिजली के अभाव में सौलर पम्प लगवाएं। ड्रिप इरिगेशन पर जोर दें।

13 राज्य सरकारों ने बी.टी. बैंगन समेत जीएम फसलों के खिलाफ केन्द्र को पत्र लिखा हुआ है। उसमें गुजरात भी शामिल है। भाजपा की ही राज्य सरकारें इसके खिलाफ है। जी.एम. फसलों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति संघीय व्यवस्था के उल्लंघन का भी मुद्दा है। ❑

जैव तकनीक - खेती और सेहत के लिए है खतरा

जाहिर है, यह ममला हमारी संपूर्ण कृषि प्रणाली, खाद्य सुरक्षा और मनुष्य व पशुओं की सेहत से जुड़ा है। इसलिए हड़बड़ी में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीएम प्रक्रिया से तैयार बीज का जैव रसायन संकर बीज में तब्दील होते वक्त नया विषैला रूप धारण कर लेता है और इसके पोषक तत्वों के गुणों में कमी आ जाती है। लिहाजा जो मनुष्य व मवेशी इन बीजों से उत्पादित फसलों को आहार बनाते हैं, उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता घटने लगती है।

■ **प्रमोद भार्गव**

खेती के लिए जीएम यानी आनुवंशिक संशोधित तकनीक को शुरुआती दौर में इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि इससे नई हरित क्रांति की उम्मीद जगी थी। लिहाजा जेनेटिक मोडीफाइड

इंजीनियरिंग से तैयार बीजों के जरिये बम्पर पैदावार के साथ भुखमरी और कुपोषण से मुक्ति के उपाय तलाशे जाने लगे थे। लेकिन इस बीच मानव व पशु स्वास्थ्य, खेती और पर्यावरण से जुड़े कई तथ्यात्मक अध्ययनों के चलते जीएम बीजों से उत्पादित फसलों को खतरनाक बताया गया। भारत बीटी कपास के दुष्परिणाम अब तक भुगत रहा है। इसलिए जब बीटी बैंगन का विवाद छिड़ा तो दुनिया के 17 वैज्ञानिकों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिख जीएम बीजों की आशंकाओं से अवगत कराया। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भी जीएम फसलों की उपयोगिता पर शंका जताई। कृषि मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति इन बीजों को नकार चुकी है। यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में जब प्रकरण लाया गया तो उसने तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के सुझाव पर देश में 10 साल के लिए खेतों में आनुवंशिक बीजों के परीक्षण पर रोक लगा दी। लेकिन बाद में इसी समिति ने जीएम बीजों के जमीनी परीक्षण पर अनिश्चित काल तक रोक लगाने की सिफारिश करते हुए चार शर्तें सुझाईं। यह हैं – जैव सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञों की समिति गठित हो, पर्यावरण अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत जैव तकनीक नियामक संस्था बनें, परीक्षण का स्थल पहले से तय हो और तमाम प्रयोगों में सभी हित धारकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। बावजूद इन सुझावों और अध्ययनों को दरकिनार करते हुए **केंद्र की मोदी सरकार की 'जैव तकनीक समिति' ने हड़बड़ी में बीज परीक्षण की इजाजत दे दी। ये उपाय देश की खेती–किसानी और मानव स्वास्थ्य चौपट करने वाले हैं। समिति के फैसले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने आपत्ति की है।**

दरअसल लोकसभा चुनाव के

हमारे यहां जल का व्यापक संकट है। ऐसे में कम से कम पानी की खपत वाली कृषि प्रणाली की जरूरत है। कीटनाशकों का लगातार उपयोग खेतों की उर्वरा क्षमता को नष्ट कर देता है। पंजाब इसी के दुष्परिणाम झेल रहा है। नतीजतन वहां एंडोसल्फान जैसे कीटनाशक प्रतिबंधित हो रहे हैं। किसानों को मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के प्रोत्साहित किया जा रहा है।

घोषणा–पत्र में भाजपा ने कहा था कि जमीन की उर्वरा शक्ति और लोगों के स्वास्थ्य पर जीएम फसलों के लंबे समय तक असर का वैज्ञानिक परीक्षण किए बिना ऐसे बीजों के सिलसिले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। बावजूद समिति ने बीजों के जमीनी प्रयोग को हरी झंडी दे दी। जबकि 2012 में कृषि मंत्रालय की संसदीय समिति ने जीएम फसलों को पूरी तरह नामंजूर कर दिया था। जीएम बीजों की उपयोगिता का मतलब है, सीधे–सीधे अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खेती–किसानी से जुड़े मुनाफे का बाजार खोलना। वह भी सिर्फ मोनसेंटो, माहिको, बालमार्ट और सिजेंटा जैसी कंपनियों के लिए, जिनकी इस बीज उत्पादन और वितरण में 95 फीसद भागीदारी है। यही कंपनियां कीटनाशकों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करती हैं। बीटी कपास की व्यूह रचना सिंजेटा ने रची थी, इसी क्रम में बिहार में जीएम मक्का बीजों की पृष्ठभूमि में मोनसेंटो था, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बीटी बैंगन खेती को बढ़ावा देने में माहिको थी।

इसके बाद एक–एक 56 फसलें वर्णसंकर बीजों से उगाई जानी थीं, लेकिन देश भर में जबरदस्त विरोध के चलते कंपनियों की यह मंशा धरी रह गई थी। परंतु अब उद्योग हितैषी दिखने की जल्दबाजी में चावल, सरसों, कपास और बैंगन जैसी प्रमुख फसलों के जीएम बीजों के जमीनी परीक्षण की छूट दे दी गई है। इसका मतलब है, सभी आशंकाएं दरकिनार करते हुए जीएम फसलों की खेती का रास्ता खोल देना। ये आशंकाएं इसलिए पुख्ता लगती हैं क्योंकि जीएम बीजों से जुड़े वैज्ञानिक दो समुदायों में बंटे हैं । यह बेवजह नहीं है कि दुनिया भर के

जीएम बीजों की उपयोगिता का मतलब है, सीधे–सीधे अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खेती–किसानी से जुड़े मुनाफे का बाजार खोलना। वह भी सिर्फ मोनसेंटो, माहिको, बालमार्ट और सिजेंटा जैसी कंपनियों के लिए, जिनकी इस बीज उत्पादन और वितरण में 95 फीसद भागीदारी है। यही कंपनियां कीटनाशकों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करती हैं। बीटी कपास की व्यूह रचना सिंजेटा ने रची थी, इसी क्रम में बिहार में जीएम मक्का बीजों की पृष्ठभूमि में मोनसेंटो था. . .

पर्यावरणविद् और कृषि वैज्ञानिक इन बीजों की खिलाफत कर रहे हैं। परीक्षणों से साबित हो चुका है कि इनसे उत्पादित खाद्यान्न से एलर्जी, हारमोन की गड़बड़ी, कैंसर, सांस व गुर्दा संबंधी बीमारियां और अपंगता हो सकती है। इनके दुष्परिणामस्वरूप खेतों को बंजर बना देने वाले खरपतवार जड़ें जमा सकते हैं जो तमाम प्रयासों से भी नष्ट नहीं होते। जीएम बीजों का इस्तेमाल करने वाले 28 देश बेकाबू खरपतवार को किसी भी रसायन से नष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

अमेरिका का जार्जिया प्रांत इसी के चलते बंजर प्रदेश में बदल गया है। जार्जिया में जमीन बर्बाद करने का काम मोनसेंटो के जीएम सोयाबीन और जीएम कपास

सवाल है कि ऐसी पैदावार को हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं जो जीवन को मौत के मुंह में धकेलने वाले हालात पैदा करे। इससे अच्छा है देश में जो हर साल लाखों टन अनाज, सब्जियां और फल भंडारण के कुप्रबंधन के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस बर्बादी को रोकने के प्रयास तेज करें। क्योंकि पेट भरने के फेर में स्वास्थ्य की परवाह न की गई तो यह स्थिति जीवन के अधिकार से खिलवाड़ होगी।

की फसलों ने किया। ये कंपनियां किसान की आत्मनिर्भरता खत्म करने का भी मंसूबा पाले हैं, ताकि किसान उनके बीजों पर आश्रित हो जाएं। इन बीजों का उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है।

जाहिर है, यह ममला हमारी संपूर्ण कृषि प्रणाली, खाद्य सुरक्षा और मनुष्य व पशुओं की सेहत से जुड़ा है। इसलिए हड़बड़ी में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीएम प्रक्रिया से तैयार बीज का जैव रसायन संकर बीज में तब्दील होते वक्त नया विषैला रूप धारण कर लेता है और इसके पोषक तत्वों के गुणों में कमी आ जाती है। लिहाजा जो मनुष्य व मवेशी इन बीजों से उत्पादित फसलों को आहार बनाते हैं, उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता घटने लगती है।

नए शोधों से यह भी जानकारी सामने आई है कि इन बीजों से तैयार अनाज, फल व सब्जियां शाकाहार नहीं रह जाते। दरअसल जब डीएनए में जीवाणुओं और कोशिकाओं को संचरित किया जाता है तो नए पौधे में मांसाहार के गुण स्वाभावतः आ जाते हैं। हालांकि इस तथ्यात्मक मुद्दे को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद भी हैं। शाकाहार संस्कृति संबंधी बहस तब भी उठी थी जब अमेरिका अपना चीज यानी पनीर भारत में बेचना चाहता

था। इसे बनाने के लिए बछड़े की आंत से बने पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए गौ सेवक भारतीय समाज इसे कभी मंजूर नहीं कर सकता।

दूसरे, अमेरिका में गायों के चारे में मासांहार भी मिलाया जाता है। इसलिए भी इसका विरोध हुआ। बहरहाल, अमेरिका को इसे भारत में बेचने की मंजूरी नहीं मिली। स्वतंत्र विज्ञान मंच और सरोकारी वैज्ञानिक संघ जैसे संगठनों ने भी जीएम फसलों को स्वास्थ्य और खेती के प्रतिकूल माना है। इनका मानना है कि इनसे पैदावार बेशक बढ़ती है लेकिन किसानों के लिए नया बीज खरीदने की मजबूरी रहेगी। संकर बीजों से उत्पादित फसलों के लिए बड़ी मात्रा में कीटनाशक और पानी की जरूरत होती है।

हमारे यहां जल का व्यापक संकट है। ऐसे में कम से कम पानी की खपत वाली कृषि प्रणाली की जरूरत है। कीटनाशकों का लगातार उपयोग खेतों की उर्वरा क्षमता को नष्ट कर देता है। पंजाब इसी के दुष्परिणाम झेल रहा है। नतीजतन वहां एंडोसल्फान जैसे कीटनाशक प्रतिबंधित हो रहे हैं। किसानों को मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसी ही आवाज उत्तर प्रदेश और केरल में उठ रही है। यहां एंडोसल्फान के इस्तेमाल से घातक बीमारियों की चपेट में आकर तमाम लोग मर चुके हैं। कई पक्षियों और कीटपंतगों की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं।

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन एंडोसल्फान पर रोक के लिए एक दिन का उपवास भी रख चुके हैं। सवाल है कि ऐसी पैदावार को हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं जो जीवन को मौत के मुंह में धकेलने वाले हालात पैदा करे। इससे अच्छा है देश में जो हर साल लाखों टन अनाज, सब्जियां और फल भंडारण के कुप्रबंधन के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस बर्बादी को रोकने के प्रयास तेज करें। क्योंकि पेट भरने के फेर में स्वास्थ्य की परवाह न की गई तो यह स्थिति जीवन के अधिकार से खिलवाड़ होगी। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

जी.एम. खाद्य फसलों के खुले परीक्षण की अनुमति

जनता के साथ वायदा खिलाफी

सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी विश्वसनीय संस्थाओं के द्वारा किए गए परीक्षणों एवं अध्ययनों के आधार पर अपनी समझ निर्माण करे, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए दावों को आंख मूंदकर स्वीकार करें। सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा संसदीय स्थाई समिति जैसे संवैधानिक संस्थाओं की राय को महत्व देना चाहिए, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अपने हित साधन के लिए दी गई रपटों का।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति द्वारा जी.एम. खाद्य फसलों के खुले परीक्षण की अनुमति दिए जाने के फैसले की खबर स्वदेशी जागरण मंच के लिए अत्यंत अविश्वसनीय एवं पीड़ादायक है। गौरतलब है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2014 को चावल, चना, गन्ना, बैंगन, सरसों समेत कई खाद्य फसलों के खुले परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है।

भारत के लोगों, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उनके नेताओं द्वारा रैलियों में दिए गए भाषणों और चुनाव घोषणा पत्र में लिखित रूप से किए गए वायदों के आधार पर सत्ता सौपी है। जैव संवर्धित खाद्य फसलों के संदर्भ में पार्टी ने दृढ़ता से चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा था कि ''आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जी. एम.) खाद्य को बिना वैज्ञानिक जांच पड़ताल के अनुमति नहीं दी जायेगी। इसमें देखा जायेगा के उत्पादन के दौरान मृदा पर और जैव वैज्ञानिक रूप से उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा।'' चुनाव घोषणा पत्र 7 अप्रैल 2014 को जनता के लिए जारी किया गया।

न तो भारत सरकार और न ही जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति ने अभी तक यह स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक परीक्षण कौन से और कब किए गए और न ही यह बताया है कि 7 अप्रैल 2014 एवं 18 जुलाई 2014 जब जी.एम. खाद्य फसलों के खुले परीक्षण की अनुमति दी गई है, के बीच परिस्थितियों में क्या अंतर आ गया है। मंच ध्यान दिलाना चाहता है कि जैव संवर्धित के खुले परीक्षण पर लगी रोक स्वदेशी जागरण मंच, किसानों, वैज्ञानिकों, उपभोक्ता संगठनों एवं अन्य हितधारकों के लंबे संघर्ष का परिणाम था। माननीय उच्चतम न्यायालय की भी इस संदर्भ में स्पष्ट राय यह रही है कि जनता एवं मृदा के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हुए किसी भी प्रकार का जल्दबाजी पूर्ण निणर्य सही नहीं है।

अधिक होने का कोई भी वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी विश्वसनीय संस्थाओं के द्वारा किए गए परीक्षणों एवं अध्ययनों के आधार पर अपनी समझ निर्माण करे, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए दावों को आंख मूंदकर स्वीकार करें। सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा संसदीय स्थाई समिति जैसे संवैधानिक संस्थाओं की राय को महत्व देना चाहिए, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अपने हित साधन के लिए दी गई रपटों का।

जीएम खाद्य फसलों के खुले परीक्षण का स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ द्वारा कड़ा विरोध किया गया। अंततः नरेन्द्र मोदी सरकार ने जनहित को देखते हुए इस फैसले को ठंडे बस्ते में डालने का निर्णय ले लिया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने भी जैव संवर्धित खाद्य फसलों के खुले परीक्षण पर तब तक रोक लगाने के लिए सिफारिश की थी, जब तक सरकार उचित नियामक एवं सुरक्षा तंत्र को स्थापित नहीं करती, और ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी शामिल थे, ने अगस्त 2012 को जी.एम. खाद्य फसलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। सर्वविदित है कि जैव संवर्धित फसलों के बारे में कंपनियों के उत्पादकता बढ़ने, मृदा स्वास्थ्य एवं मानव जीवन पर कोई खतरा न होने के दावे सही नही है। जैव संवर्धित फसलों की उत्पादकता

स्वदेशी जागरण मंच सरकार से अनुरोध करता है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति द्वारा जी.एम. फसलों के खुले परीक्षण की अनुमति पर तुरंत रोक लगाए। स्वदेशी जागरण मंच सरकार से यह भी आग्रह करता है कि वह जी.एम. खाद्य फसलों के उपयोग के कारण कृषि भूमि की उर्वरकता तथा मानव एवं अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को समझने के लिए एक योग्य समिति का गठन करके सही जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में स्वयं पहल करें। सरकार का यह प्रथम दायित्व है कि वह देश की जैव विविधता, भूमि की उर्वरक क्षमता, खाद्य सुरक्षा तथा जनस्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचने दे। ❑

सर्वोपरि है खाद्यान्न सुरक्षा

भारत अपने कृषि क्षेत्र को स्वायत्ता बनाने के लिए इसका उदारीकरण कर रहा है और खाद्यान्न सब्सिडी के स्थान पर डब्ल्यूटीओ के नियमों को अपना रहा है। वर्तमान खरीफ मौसम में खाद्यान्न महंगाई को बहाना बनाते हुए सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 50 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा दिया है। यह बिल्कुल वही है जो डब्ल्यूटीओ चाहता है। बाद में इसे वैधानिक स्वरूप देने के लिए 2014 के आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय बाजार को बनाने की बात कही गई है, जो कि कृषि उत्पाद बाजार समिति अथवा एपीएमसी की सीमाओं को लांघता है।

■ देविन्दर शर्मा

भारत ने अपनी खाद्यान्न सुरक्षा चिंता के मद्देनजर डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रस्तावित व्यापार सरलीकरण समझौते को स्वीकार करने अथवा इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है। भारत चाहता है कि मौजूदा नियमों में सुधार किया जाए, क्योंकि इसके कारण खाद्यान्नों की खरीद का काम असंभव हो जाएगा। वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात से अवगत कराया है कि इस समझौते से लाखों छोटे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। यदि भारत अपने रुख पर कायम रहता है तो डब्ल्यूटीओ के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी समझौते के क्रियान्वयन को रोकना पड़ेगा। अपने स्थापना काल से ही डब्ल्यूटीओ किसी भी समझौते को क्रियान्वित करने के लिए सर्वानुमति से काम करता रहा है। भारत के लगातार विरोध के कारण व्यापार सरलीकरण समझौता खतरे में पड़ गया है।

विकसित देश व्यापार सरलीकरण समझौते को शीघ्र लागू करने के पक्ष में हैं, क्योंकि इससे उन्हें विकासशील देशों के बाजार तक पहुंच बढ़ाने के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे सीमा संबंधी अड़चनें दूर होंगी और आयात अधिक आसान होगा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि राज्य की तरफ से गरीबों के लिए चलाए जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर समझौता नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते में देरी के लिए राजनीतिक उत्साह को दोष दिया जा सकता है। यदि डब्ल्यूटीओ ने भारत की खाद्य सुरक्षा चिंताओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया होता तो यह मामला हल हो सकता था।

यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने खाद्यान्न सुरक्षा मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने की बात कही हो। दिसंबर 2013 में बाली में हुए डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने भी यही बात कही थी, लेकिन यह सब अंतिम समय में हुआ था। परिणामस्वरूप उन्हें जो हासिल हुआ वह यही कि अगले चार वर्षों तक खाद्यान्न सब्सिडी जारी रखी जा सकेगी। मुझे संदेह है कि खाद्यान्न सुरक्षा के मुद्दे पर

तमाम हो–हल्ले के बावजूद भारत डब्ल्यूटीओ में कहता आ रहा है कि वह अपनी खाद्यान्न सुरक्षा चिंताओं पर समझौता नहीं करेगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो भारत को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करना होगा और साथ ही जरूरतमंद और भूखे लोगों के लिए खाद्य वितरण के मामले में आधिपत्य रखने वाली भारतीय खाद्य निगम की भूमिका सीमित अथवा खत्म हो जाएगी।

स्थायी समाधान के बिना भारत किसी भी कूटनीतिक दबाव में आएगा और व्यापार सरलीकरण समझौते को स्वीकार करेगा।

इसके उलट मैंने यही पाया है कि डब्ल्यूटीओ में भारत ने स्वतः ही आयात को सरल किए जाने के संबंध में कदम बढ़ाए हैं। 2014 के बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आयातकों के लिए सीमा शुल्क संबंधी प्रावधान की दिशा में एकल खिड़की सुविधा का प्रस्ताव दिया है और पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की दिशा में 16 नई बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त तूतीकोरिन बंदरगाह परियोजना के विकास कार्य के लिए 11,635 करोड़ रुपये दिए हैं। व्यापार कूटनीति को समझने वालों को पता है कि व्यापार सरलीकरण के निर्णयों पर क्रियान्वयन को धीमा करने का सबसे अच्छा तरीका दबाव बढ़ाना है। हालांकि भारत की ऐसी कोई इच्छा नहीं है।

जब मामला खाद्यान्न सुरक्षा का होता है तो सबसे बड़ी समस्या लोकहित में खाद्यान्न संग्रहण पर किए जाने वाले खर्च की राशि में बढ़ोतरी का आता है। इसके कारण छोटे किसानों से खरीदे जाने वाले गेहूं और चावल की निर्धारित कीमतों में इजाफा होता है। कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते के प्रावधान के तहत प्रशासित अथवा नियंत्रित कीमत कुल उपज की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को पार नहीं कर सकती। चावल के मामले में भारत यह सीमा पहले ही पार कर चुका है, जहां खरीद मूल्य आधार वर्ष 1986–88 के मानक पर 24 फीसद से अधिक पहुंच चुका है।

तमाम हो–हल्ले के बावजूद भारत डब्ल्यूटीओ में कहता आ रहा है कि वह अपनी खाद्यान्न सुरक्षा चिंताओं पर समझौता नहीं करेगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो भारत को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करना होगा और साथ ही जरूरतमंद और भूखे लोगों के लिए खाद्य वितरण के मामले में आधिपत्य रखने वाली भारतीय खाद्य निगम की भूमिका सीमित अथवा खत्म हो जाएगी। मूल्य निर्धारण और सब्सिडी से पीछे हटने के बजाय राजग सरकार ने गरीब अथवा जरूरतमंद लोगों के लिए अधिकाधिक खाद्यान्नों की खरीदारी को कम करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राच्य सरकारों को किसानों की दी जाने वाली नकदी प्रोत्साहन राशि नहीं देने को कहा है, क्योंकि इससे बाजार प्रभावित होता है।

भारत अपने कृषि क्षेत्र को स्वायत्ता बनाने के लिए इसका उदारीकरण कर रहा है और खाद्यान्न सब्सिडी के स्थान पर डब्ल्यूटीओ के नियमों को अपना रहा है। वर्तमान खरीफ मौसम में खाद्यान्न महंगाई को बहाना बनाते हुए सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 50 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा दिया है। यह बिल्कुल वही है जो डब्ल्यूटीओ चाहता है। बाद में इसे वैधानिक स्वरूप देने के लिए 2014 के आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय बाजार को बनाने की बात कही गई है, जो कि कृषि उत्पाद बाजार समिति अथवा एपीएमसी की सीमाओं को लांघता है।

दूसरे शब्दों में एक बार जब एपीएमसी मंडियां अनावश्यक हो जाएंगी तो खरीदारी मूल्य स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। कुल 24 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, लेकिन केवल गेहूं और चावल के लिए किसानों को सरकारी खरीद मूल्य की दर पर भुगतान किया जाता है और यह काम भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिए, जिनकी खरीदारी मंडियों के लिए नहीं की जाती, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य महज अनुमानित कीमत होती है। यही कारण है कि एपीएमसी मंडियां इनके खरीदारी मूल्य से दूरी रखती हैं और डब्ल्यूटीओ भी यही चाहता है। समय के साथ एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी जाएंगी और सरकार नहीं चाहती कि मनमाने ढंग से खरीदारी मूल्यों में बढ़ोतरी हो और डब्ल्यूटीओ प्रावधानों का उल्लंघन हो।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का पालन करने के लिए राज्यों से पूछा है और किसानों को नकदी बोनस नहीं देने के लिए कहा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में गेहूं के लिए किसानों को 150 रुपये प्रति कुंतल बोनस दिया जा रहा है। यदि राज्य भारतीय खाद्य निगम की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आपात परिस्थितियों और पीडीएस के लिए जरूरी खाद्यान्न का संग्रहण संभव नहीं होगा।

पिछले कुछ वर्षों से मुख्यधारा के अर्थशास्त्री मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दोष देते रहे हैं। आम धारणा है कि मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है। आरबीआई के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी से अल्पकालिक तौर पर थोक मूल्य में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। अमेरिका में भी यही कहा जाता है। 14 देशों के कृषि निर्यात संघ ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म किया जाए ताकि उनके व्यापारिक हितों का संरक्षण हो। डब्ल्यूटीओ का भी यही निर्देश है। यह समय ही बताएगा कि भारत इसे कितना स्वीकार करता है। ❑

डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत-अमरीकी टकराव

राष्ट्रीय हितों का संरक्षण सरकार का दायित्व है और सरकार ने व्यापार सुविधा को घरेलू खाद्य सुरक्षा के साथ जोड़कर डब्ल्यू.टी.ओ. में जो मजबूती दिखाई है, वह काबिले तारीफ है। भूमंडलीकरण के नाम पर हम अमरीका की मांगों के सामने झुकते चले जाएं, कहां तक सही है?

■ डॉ. अश्विनी महाजन

नरेन्द्र मोदी सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) को कह दिया है कि वह व्यापार सुगमीकरण समझौते पर तब तक हामी नहीं भरेगी, जब तक भारत के खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव को माना नहीं जाता। भारत का कहना है कि ''करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा और डब्ल्यू.टी.ओ. के अप्रासांगिक नियमों की बली चढ़ाना भारत को स्वीकार नहीं है।'' हालांकि भारत के इस कदम से बाली में हुआ डब्ल्यू.टी.ओ. समझौता खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए अमरीका सहित कई देश उससे खफा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के इस रूख को भी भली भांति समझने की जरूरत है।

यह अटपटा लगता है कि व्यापार समझौतों में खाद्य सुरक्षा का विषय कैसे आ सकता है, लेकिन यह मुद्दा तब उठा, जब डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत द्वारा कृषि के लिए निर्धारित कुल खाद्य उत्पादन के 10 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी देने के नाम पर अमरीका द्वारा आपत्ति उठाई गई। गौरतलब है कि जब भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून, जिसमें देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या को उसकी जरूरत का अनाज सस्ता (गेहूं 3 रूपए किलो और चावल 2 रूपए किलो) देने संबंधी कानून बनाया गया, तो इस मामले ने तूल पकड़ा।

वास्तविकता यह है कि भारत द्वारा कभी भी सब्सिडी की 10 प्रतिशत की सीमा को न तो कभी लांघा गया है और न ही खाद्य सुरक्षा कानून के बाद भी भविष्य में भी उसके लांघने की कोई आशंका है। लेकिन फिर भी यह मुद्दा डब्ल्यू.टी.ओ. में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि डब्ल्यू.टी.ओ. समझौतों पर 1994 में हस्ताक्षर के समय सब्सिडी मापने के फार्मूले में यह डाल दिया गया कि 1986 से 1988 के बीच की कीमतों को आधार माना जायेगा। इसका मतलब यह है कि यदि 1986–88 में गेहूं की कीमत 380 रूपए प्रति क्विंटल थी और आज भारत सरकार उसे 1400 प्रति क्विंटल पर खरीद कर रही है तो सब्सिडी 1080 रूपए प्रति क्विंटल मानी जायेगी।

स्पष्ट है कि फार्मूला वास्तव में अत्यंत आपत्तिजनक है। अगर यही नियम लागू रहता है तो सब्सिडी निश्चित रूप से 10 प्रतिशत से ज्यादा ही कही जायेगी। भारत इस गलत फार्मूले को सही करने की मांग कर रहा है, जो किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है। यही बात भारत के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने भी, बाली समझौते से एक दिन पहले एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भी कही थी। उस समय वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि भारत 'शांति धारा' यानि अमरीका और अन्य विकसित देश यह आपत्ति न करें, की भीख नहीं मांग रहा, वास्तव में पूर्व में हुये समझौते में इस गलत फार्मूले को ठीक करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि खाद्य सुरक्षा के साथ भारत कोई समझौता नहीं कर सकता। आनंद शर्मा ने यह भी कहा था कि डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम विकासशील देशों और खासतौर पर भारत विरोधी हैं, इसलिए उसमें बदलाव करना होगा। उनके खुलासे के अनुसार सब्सिडी का हिसाब करते हुए, खाद्यान्नों की कीमत का आधार 1986–88 (यानि 25 वर्ष से भी अधिक पुराना है) है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसके बाद देश और दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतें कई गुणा बढ़ चुकी हैं। इसलिए उस आधार को लिया जाता है तो सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन स्वभाविक है, लेकिन वास्तव में वह सही नहीं है। इस आधार को बदलना होगा।

गौरतलब है कि विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में यह दबाव बना रहे थे कि भारत द्वारा अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में सीमा से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, जिसे वे विवाद में घसीट सकते हैं। देश में खाद्य सुरक्षा संबंधी बड़े–बड़े वादों के बाद भारत सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था कि वे विकसित देशों की चुनौती को न माने, क्योंकि ऐसा करने पर देश में खाद्य सुरक्षा कानून और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ही खटाई में पड़ जाता।

लेकिन 5 दिसम्बर की रात को

अमरीका के विदेश व्यापार मंत्री के साथ बातचीत, मीडिया की खबरों के अनुसार इंडोनेशिया (जो सम्मेलन का मेजबान देश था) के राष्ट्रपति का डा. मनमोहन सिंह को टेलीफोन, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि भारत के रूख में नरमी आ गई और भारत ने तमाम तर्कों को दरकिनार कर दिया और समझौते का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो गया और वह 6 दिसंबर की सुबह तक घोषित हो गया।

गौरतलब है कि विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में यह दबाव बना रहे थे कि भारत द्वारा अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में सीमा से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, जिसे वे विवाद में घसीट सकते हैं। देश में खाद्य सुरक्षा संबंधी बड़े–बड़े वादों के बाद भारत सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था कि वे विकसित देशों की चुनौती को न माने, क्योंकि ऐसा करने पर देश में खाद्य सुरक्षा कानून और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ही खटाई में पड़ जाता। इस ड्राफ्ट (अंतिम फैसले) को जिसे भारत सरकार जीत का नाम दे रही थी, वह वास्तव में भारत की हार थी। जिस बात को जीत के रूप में प्रस्तुत किया गया, वह यह थी कि सब्सिडी संबंधी विवादों का अब स्थायी हल निकलने जा रहा है, यानि अब स्थायी हल निकलने तक भारत की खाद्यान्न भंडारण को विकसित देश चुनौती नहीं देंगें।

हाल ही में हुई असफल वार्ताओं में भारतीय पक्ष यह मांग कर रहा था कि बाली में हुए समझौते को आगे बढ़ाते हुए खाद्य सुरक्षा संबंधी मसले पर ठोस प्रगति हो, जबकि विकसित देश भारत से व्यापार सुगमीकरण समझौते पर ठोस वचनों की मांग कर रहे थे और खाद्य सुरक्षा मुद्दे पर कोई वचनबद्धता नहीं दिखाई दे रहे थे।

गौरतलब है कि व्यापार सुविधा समझौता जिसे विकसित देश चाह रहे हैं, करने का मतलब है कि भारत को आवश्यक रूप से तमाम प्रकार के ढ़ांचागत निवेश की जरूरत होगी, जिस पर अब भारी खर्च करना पड़ेगा। आज जब भारत समेत विकासशील देश अपने लोगों को बुनियादी सुविधायें भी नहीं दे पा रहे हैं, अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इस

समझौते को लागू करने के लिए खर्च करना पड़ेगा।

एयरपोर्टों, जलपोतों पर आयातों को सुविधा देने के लिए ढ़ांचागत निर्माण, कॉरीडोरों और सड़कों का निर्माण के साथ–साथ कस्टम व्यवस्था का मशीनीकरण करना इस व्यापार सुविधा समझौते का हिस्सा होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इस सुविधाओं को लागू करवाने में जरूरी लागत का कोई आकलन भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। जाहिरतौर पर इन सुविधाओं पर भारी लागत आने वाली है, जिसका मतलब यह है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अपनी बुनियादी सुविधाओं के बजट को काट कर व्यापार सुविधा के लिए धन उपलब्ध कराना पड़ेगा।

ऐसे में जब भारत सरकार ने व्यापार सुविधा समझौते पर सहमति देने से पहले खाद्य सुरक्षा के लिए स्थाई समाधान की शर्त रखी है, उसे किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। अमरीका द्वारा भारत के गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा के मसले पर डब्ल्यू.टी.ओ. आपत्ति करना देश की संप्रभुता पर भी चोट है। हमें समझना होगा कि पूर्व में डब्ल्यू.टी.ओ. में किया गया कृषि समझौता भारत के हितों के प्रतिकूल और विकसित देशों के अनुकूल था, क्योंकि विकसित देशों की अरबों डालर की कृषि सब्सिडी पर तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए आपत्ति की जा रही है।

हमें यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक युद्ध के समान है और व्यापार समझौते युद्ध समझौतों के समान होते हैं, इसलिए उनमें कड़ाई रखना निहायत जरूरी है। खराब समझौता कर लेने से ज्यादा अच्छा है कि कोई समझौता ही न हो। राष्ट्रीय हितों का संरक्षण सरकार का दायित्व है और सरकार ने व्यापार सुविधा को घरेलू खाद्य सुरक्षा के साथ जोड़कर डब्ल्यू.टी.ओ. में जो मजबूती दिखाई है, वह काबिले तारीफ है। भूमंडलीकरण के नाम पर हम अमरीका की मांगों के सामने झुकते चले जाएं, कहां तक सही है? ❑

'डब्ल्यूटीओ में भारत का मत'

विषय पर वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारामण द्वारा लोकसभा में दिए जाने हेतु वक्तव्य

1. मैं हाल में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत द्वारा रखे गए मत से संबंधित तथ्यों को माननीय सदस्यों के समक्ष रखने के लिए सदन को संबोधित कर रही हूँ।

2. बाली में डब्ल्यूटीओ के नवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न होने के पश्चात दिनांक 7 दिसम्बर 2013 को बाली मंत्रिस्तरीय घोषणा लागू किया गया था। दोहा विकास कार्यसूची से संबंधित दस मुद्दों पर मंत्रिस्तरीय निर्णयों को अपनाया गया था। यह कार्यसूची वर्ष 2001 से डब्ल्यू टी ओ में की जा व्यापार वार्ताओं के अधूरे दोहा दौर की कार्यसूची है।

3. इन मंत्रिस्तरीय निर्णयों के बीच, दो निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं व्यापार सुविधा संबंधी करार हेतु मंत्रिस्तरीय निर्णय तथा खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग संबंधी मंत्रिस्तरीय निर्णय।

4. व्यापार सुविधा करार का उद्देश्य मूल रूप से सीमाशुल्क प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता तथा सरलीकरण लाना, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति तथा जोखिम प्रबंधन उपायों के उपयोग एवं पत्तनों पर त्वरित निकासी करना है। हमने व्यापार को सुकर बनाने हेतु बजट 2014–15 में घोषित 'भारतीय सीमाशुल्क एकल स्थानी परियोजना' जैसे अनेक उपाय स्वायत्त रूप से लागू किए हैं जिनके तहत आयातक तथा निर्यातक एक ही स्थान पर अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे, जिससे सरकारी एजेंसियों के साथ इंटरफेस में कमी होगी और इस प्रक्रिया में लगने वाले समय तथा कारोबार लागत में बचत होगी।

5. व्यापार सुविधा करार (टीएफए) प्रोटोकॉल को डब्ल्यूटीओ द्वारा 31 जुलाई, 2014 तक अंगीकार किया जाना है । इसके पश्चात डब्ल्यू.टी.ओ के दो–तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के पश्चात यह करार 31 जुलाई, 2015 से

स्वतः प्रभावी हो जाएगा ।

6. डब्ल्यूटीओ में व्यापार सुविधा संबंधी उनके प्रयासों के विपरीत, कुछेक विकसित देश अन्य मुद्दों पर वार्ताएं करने के लिए इच्छुक नहीं रहे हैं।

7. अन्य निर्णयों को आगे कार्यान्वित करने में किए जा रहे संकोच को देखते हुए, विकासशील देशों को यह आशंका थी कि व्यापार सुगमीकरण करार को लागू करने की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद खाद्य सुरक्षा प्रयोजन के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग हेतु ससिब्डियों के संबंध में स्थायी समाधान के महत्वपूर्ण मुद्दे सहित अन्य मुद्दों को नजर अंदाज कर दिया जाएगा।

8. अतः, भारत ने अपना यह मत रखा कि जब तक अल्प विकसित देशों (एलडीसी) से जुड़े मुद्दों सहित सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग तथा बाली में लिए गए निर्णयों से संबंधित अन्य सभी मुद्दों पर स्थायी समाधान ढूंढने का आश्वासन नहीं मिलता तब तक व्यापार सुगमीकरण करार के लिए संशोधन प्रोटोकॉल पर मतैक्य में शामिल होना कठिन होगा ।

9. किसी स्थायी समाधान के बिना, भारत तथा अन्य विकासशील देशों में सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम घरेलू सहायता पर मौजूदा अधिकतम सीमा के कारण बाधित होंगे। यह अधिकतम सीमा उत्पादन मूल्य का 10% है और मौजूदा डब्ल्यूटीओ नियमों के अंतर्गत इसे कृषकों हेतु व्यापार विकृतिकारी सब्सिडी माना जाता है जो गलत है। ऐसे सब्सिडी घटक की मौजूदगी का निर्धारण मौजूदा कीमतों की तुलना 1986–88 की अवधि की नियत कीमतों से करके किया जाता है, जो सही नहीं है।

10. यह समस्या वस्तुतः बहुत गंभीर

है। विकासशील देशों को मौजूदा नियमों के कारण अपने खाद्य स्टॉकहोल्डिंग तथा घरेलू खाद्य सहायता कार्यक्रम चलाने में अत्यधिक बाधा का सामना करना पड़ रहा है। विकसित देशों ने भी बाजार कीमत समर्थन कार्यक्रम चलाए थे और धन की बहुलता के कारण वे ऐसे सहायता कार्यक्रमों को क्रमिक रूप से समाप्त करने में सक्षम रहे यद्यपि पूर्ण रूप से अभी तक भी ऐसा संभव नहीं हुआ है। यह विकासशील देशों के लिए संभव नहीं है। विकासशील देशों के लिए अपने गरीब किसानों हेतु कुछ न्यूनतम उपाय सुनिश्चित कर पाना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने लिए तथा घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त उत्पादन कर सकें।

11. विकसित देशों के पास अभी भी किसानों को सहायता प्रदान करने संबंधी बहुत सी हकदारियाँ हैं । इनमें दोहा विकास दौर के निष्पादन से कटौती हुई है जो दुर्भाग्यवश अभी पूरा नहीं हो पाया है। यदि विकास पर केन्द्रित यह दौर सहमत समय सीमा के भीतर और अपने विकास एजेंडा के अनुसार पूरा हो जाता तो विश्व को एक ऐसा परिणाम मिलेगा जिससे प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन बिठाया जा सकता था। आज अधिकांश धनी विकसित देशों के बाजार पहुँच संबंधी मुद्दों पर एकनिष्ठ व्यापारिक ध्येय के विपरीत विकासशील देश वार्ताओं को विकास पर केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।

12. निष्कर्षों के सीमित पैकेज में भी समग्र संतुलन रखना महत्वपूर्ण है । बाली निष्कर्षों पर एक पैकेज के तौर पर वार्ताएं की गईं और इसके परिणाम भी इसी प्रकार निकाले जाने चाहिए।

13. यह वास्तव में खेदजनक है कि आज डबल्यूटीओ विकासशील देशों के लाखों कृषकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर त्वरित वार्ताएं करने पर सहमति देने में असमर्थ है जबकि धनी देश अपने किसानों को अक्षुण्ण रूप से रियायतें देना जारी रख सकते हैं।

14. यह मुद्दा 14 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में और 19 जुलाई को सिडनी में जी–20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में चर्चा के लिए उठाया गया। यह मुद्दा विश्व के कई देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भारत सरकार के साथ बातचीत में भी उठाया गया। प्रत्येक अवसर पर मैंने यही कहा कि भारत ने व्यापार सरलीकरण सहित बाली निर्णयों पर हस्ताक्षर किए हैं और वह उनके कार्यान्वयन के आड़े नहीं आ रहा है परंतु वह सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे पर, जो देश की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, पर कार्रवाई के लिए एक समस्तरीय प्रतिबद्धता और प्रगति चाहता है । खाद्य सुरक्षा पर एक स्थायी समाधान हमारे लिए अत्यावश्यक है और हम अनिश्चितता की स्थिति में लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते यद्यपि डब्ल्यूटीओ खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर अकादमिक वार्ताएं कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विकसित देश इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमत होने से पूर्व डब्ल्यूटीओ को इसका सुझाव दे रहे हें ।

15. खाद्य सुरक्षा एक मानवीय मुद्दा है, विशेषकर आजकल की अनिश्चितता और अस्थिरता के समय में विकास और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा व्यापक मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी व्यापारिक दृष्टिकोण पर बलि नहीं चढ़ायी जा सकती है।

16. भारत जैसे विकासशील देशों को अपने खाद्य भंडारों को, किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करने की आशंका के बिना, अपनी गरीब जनता की खाद्य आपूर्ति हेतु उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए । यह हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है । हमारे नागरिकों के जीवन और आजीविका संबंधी मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

17. कृषि भारतीय जनमानस की आजीविका का प्रमुख साधन है। भारत जैसे देश में जहाँ 60 प्रतिशत जनसंख्या अपेक्षाकृत अलाभकर कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, वहाँ हम लागू कीमतों को नहीं छोड़ सकते। केवल इसी माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के आधार स्तंभ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्य आपूर्ति कर सकते हैं।

18. हमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण खाद्य की पर्याप्त मात्रा उचित कीमतों पर उपलब्ध हो सके जिससे जीवन की गरिमा बनी रहे।

19. 25 जुलाई, 2014 को भारत ने डब्ल्यू टी ओ महासभा में एक अभिकथन किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया गया कि खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी हल न निकलने तक टीएफ प्रोटोकॉल का अंगीकरण स्थगित रखा जाए।

20. भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया अपनाए जाने का सुझाव दिया था। हमने इस बात पर भी बल दिया कि एलडीसी मुद्दों से संबंधित बाली पैकेज के अन्य सभी मुद्दों के लिए भी समान अधिगम अपनाया जाए।

21. भारत के विचार की निष्ठा इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि आलोचनाओं का सामना करते हुए हम लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। 31 जुलाई, 2014 को भी भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे का स्थायी हल निकालने का न केवल एक सुझाव प्रस्तुत किया बल्कि एल.डी.सी. के लिए अनुकूल परिणाम निकालने तथा व्यापार सुगमीकरण करार को सहमत समय–सीमा के अंदर क्रियान्वित करने पर

भी बल दिया।

22. हमने एक कदम आगे जाकर व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे का स्थायी समाधान बिल्कुल साधारण है जिसका बड़ी आसानी से हल निकाला जा सकता है क्योंकि सभा पटल पर ऐसे कई प्रस्ताव पहले से ही मौजूद है । इस साधारण सी समस्या का समाधान करोड़ों किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को भारी राहत पहुँचाएगा ।

23. तथापि, भारत के प्रयासों के बावजूद हमारी चिंताओं का संतोषजनक हल नहीं निकाला गया ।

24. डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक ने 31 जुलाई, 2014 को व्यापार वार्ता समिति की बैठक में अनौपचारिक रूप से यह कहा कि इस अंतराल को भरने के लिए हल नहीं निकाला जा सकता ।

25. तत्पश्चात, महासभा की बैठक टी एफ प्रोटोकॉल को अंगीकार किए बिना ही औपचारिक रूप से समाप्त घोषित कर दी गई ।

26. पर्याप्त दवाब के बावजूद भारत अपने विचार पर अडिग है । भारत सरकार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध है। हमारे किसान विपरीत परिस्थितियों में कठिन मेहनत करते हैं। अधिकांश कृषक मानसून की दया पर जीवित हैं और आजकल तो जलवायु परिवर्तन अधिक तीव्रता से हो रहा है। कई विकासशील देशों में किसानों के लिए कृषि आजीविका का एक साधन है, न कि व्यवसाय । हम किसानों के हित के प्रति वचनबद्ध हैं और इस उद्देश्य के लिए कृषक संगठनों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और उनकी सूझ–बूझ के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं ।

27. हम माननीय संसद सदस्यों, सिविल सोसायटी के कई समूहों, शिक्षाविदों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सरकार के इन प्रयासों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की ।

28. यह इस समर्थन का ही प्रभाव है कि भारत के इस मत की सम्पूर्ण विश्व में सराहना की गयी और मैं उन देशों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने डब्ल्यू टी ओ में भारत के इस विचार का समर्थन किया है।

29. भारत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में एक स्थायी मतदाता है और हम डब्ल्यू टी ओ में अपनी प्रतिबद्धता को एक बार पुनः दोहराते हैं। हमारा सदैव यह विश्वास रहा है कि सभी विकासशील देशों, खासकर निर्धनतम देशों, और हासिये पर छोड़ दिए गए देशों के लिए यह हितकर होगा। हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि हम इसे और अधिक मजबूत बनाएंगे। किसी प्रणाली या उसके नियम में कोई विसंगति या असंतुलन होने पर उसमें समय से सुधार कर लेना उस कार्य प्रणाली का हिस्सा होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आवश्यक है कि डब्ल्यू. टी.ओ. बिना किसी भेदभाव के कार्य करता है, इसके सभी सदस्यों के हित में होगा न कि कुछ चुनिंदा सदस्यों के हित में।

30. मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत डब्ल्यू टी ओ के सदस्य देशों में अपनी तथा अन्य विकासशील देशों की संवेदनशीलता को मनवाने में समर्थ होगा और इस विषय पर पूर्ण उत्साह के साथ हमें उनका सहयोग मिलेगा। इस संस्थान द्वारा यह सबसे बड़ा योगदान होगा जिससे खाद्य सुरक्षा की वैश्विक चुनौती को हल किया जा सकता है और इससे सम्पूर्ण विश्व में यह संदेश जाएगा कि डब्ल्यू.टी.ओ. विकास के प्रति वचनबद्ध है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

उम्मीदों पर कायम है अर्थव्यवस्था

वित्तमंत्री जेटली के बजट का पूरा प्रभाव आते–आते करीब साल भर का समय लगेगा। तब शायद उद्योग जगत की स्थिति और बेहतर दिखाई पड़े। पर सरकार के लिए चिंता का विषय रिटेल महंगाई बनी हुई है। टमाटर, आलू, प्याज के भावों पर नियंत्रण अब भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह सरकार की सिर्फ आर्थिक चिंता का नहीं, राजनीतिक चिंता का विषय भी है।

■ आलोक पुराणिक

देखा जाए तो सरकार बदलने से मोटे तौर पर कुछ खास बदलता नहीं दिख रहा है है, पर एक बात जो बदली है वह यह कि देश, बाजार को लेकर उम्मीदें बदली हैं। उम्मीदें बहुत जरूरी होती हैं और भारत जैसे देश में तो उम्मीदों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां की 52 प्रतिशत आबादी 25 साल की आयु से नीचे की है। मानसून के कमजोर पड़ने की आशंकाएं कुछ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। यानी मानसून उस तरह से फ्लॉप नहीं होगा, जैसी कि आशंकाएं हाल तक व्यक्त की जा रही थीं। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने शानदार आंकड़े पेश किए। हाउसिंग परियोजनाएं चलाने वाली कंपनियां बता रही हैं कि मांग के स्तर में धीमे–धीमे उठान हो रहा है।

मुंबई शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक कच्चे तेल के भावों में उठा–पटक की आशंकाओं के बावजूद वापस 20 हजार या 21 हजार के बिंदु पर जाने की बेताबी नहीं दिखा रहा है। यह 26 हजार के आसपास डटा हुआ है। बाजार उम्मीद पर चलता है और आशंकाओं पर भी। आशंकाओं का अतिरेक बाजार को डुबोता है और उम्मीदों का अतिरेक बाजार को असाधारण ऊंचाइयों पर ले जाता है।

हाल में अच्छी खबर यह आई है कि 2013 में खत्म हुए आठ सालों में रोजगार की हालत ठीक–ठाक रही है। जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार दो प्रतिशत सालाना है, तो रोजगार बढ़ोत्तरी की रफ्तार चार प्रतिशत सालाना है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने पिछले आठ सालों में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा किया। इस देश में करीब 13 करोड़ लोग रोजगाररत है। यह आंकड़ा यह बताता है कि तब भी परम विकट स्थिति नहीं थी, जब ऐसा कहा जा रहा था कि अर्थव्यवस्था डूब गई।

दरअसल देश के लिए अब नंबर एक आर्थिक प्राथमिकता अगर कुछ हो सकती है, तो वह है रोजगार के मौकों को पैदा करना। रोजगार बढ़ोत्तरी से तमाम दूसरी आर्थिक समस्याओं का निपटारा एक हद तक हो जाता है। कम पढ़े–लिखों को रोजगार भारत में उन उद्योगों में मिलने की उम्मीद है, जहां मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ बनाने का काम होता है। सेवा क्षेत्र भी रोजगार देता है पर उनको, जिनके पास शिक्षादीक्षा का न्यूनतम स्तर होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कई रोजगार थोड़े से प्रशिक्षण के बाद देना संभव हो जाता है। फिलहाल भारत को उनकी ज्यादा जरूरत है।

आज देश में नए मौके बनाने, तलाशने की जरूरत है और आंकड़े बताते हैं कि वे उद्योग खासे आशान्वित हो रहे हैं, जिनसे खासा रोजगार पैदा किया जा सकता है। कैपिटल गुड्स यानी भारी–भरकम मशीनरी बनाने वाले उद्योगों में खासा रोजगार मिलता है, इनकी स्थिति में पिछले कुछ समय में सुधार देखने को मिला है। कैपिटल गुड्स उद्योग पर आधारित कंपनियों का मुंबई शेयर बाजार

सूचकांक पिछले तीन महीनों में करीब 22 प्रतिशत चढ़ा है और छह महीनों में इसमें 57 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है। यह सूचकांक दिखाता है कि भारी–भरकम मशीनरी उद्योग में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। इस किरण से रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां भी खासा रोजगार देती हैं। पर मसला यह है कि रोजगार तो तब मिलेगा, जब बाजार में उत्पाद की मांग होगी। बाजार में अब इन कंपनियों की शिकायतें कम हो गई हैं। फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीनों की मांग ठीक–ठाक आ रही है। इस मांग का एक प्रभाव इन कंपनियों के शेयरों पर भी दिख रहा है।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियों के शेयर भावों पर आधारित मुंबई शेयर बाजार के सूचकांक ने पिछले तीन महीने में 32.60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखाई है और छह महीनों में तो यह बढ़ोत्तरी 56.30 प्रतिशत रही है। इसका मतलब साफ है कि इन कंपनियों को भविष्य की मांग को लेकर चिंता दिखाई नहीं पड़ती। नई परियोजनाएं शुरू करने में दिक्कत दिखाई नहीं देती। इसका मतलब यह भी है कि भविष्य में इन कंपनियों में, इनकी परियोजनाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सिकुड़ेंगे नहीं। रोजगार देने वाला एक और उद्योग है आटो उद्योग। आटो उद्योग पर आधारित कंपनियों का मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक पिछले तीन महीने में 16 प्रतिशत उछला है, और छह महीनों में तो इसमें 34.20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

कुछ महीनों पहले तक तमाम ऑटो कंपनियां शिकायत कर रही थीं कि मांग में कमी आ रही है। मांग में कमी के चलते तमाम फैक्टरी–प्लांट को पूरी क्षमता पर नहीं चलाया जा रहा था। पिछले दरवाजे से छंटनी की बात भी सामने आ रही थी। अब स्थिति में बदलाव है। नई कारें, नई बाइकें लगातार लांच हो रही हैं। बाजार में नई मांग पैदा होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है।

अर्थव्यवस्था में रोजगार की हालत बेहतर हो, तो कार–बाइक की मांग में तो बढ़ोत्तरी होनी है। यही हाल कंज्यूमर ड्यूरेबल उद्योग का है। अर्थव्यवस्था में रोजगार की हालत बेहतर होती है, तो फ्रिज–टीवी की मांग में तेज बढ़ोत्तरी होती है। टीवी फ्रिज के महंगे और बेहतर मॉडल बेच पाना आसान हो जाता है। आटो उद्योग की बेहतरी दरअसल अर्थव्यवस्था की बेहतरी का पुख्ता सबूत मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में उम्मीद की नई किरण पैदा हो रही है। अभी खबर आई है कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था की विकास दर करीब चार प्रतिशत रहने वाली है। कुछ समय पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर दो प्रतिशत के आसपास थी। अब वहां तेजी के आसार हैं। इसका सीधा असर भारत के साफ्टवेयर कारोबार पर पड़ना तय है।

आज देश में नए मौके बनाने, तलाशने की जरूरत है और आंकड़े बताते हैं कि वे उद्योग खासे आशान्वित हो रहे हैं, जिनसे खासा रोजगार पैदा किया जा सकता है। कैपिटल गुड्स यानी भारी–भरकम मशीनरी बनाने वाले उद्योगों में खासा रोजगार मिलता है, इनकी स्थिति में पिछले कुछ समय में सुधार देखने को मिला है। कैपिटल गुड्स उद्योग पर आधारित कंपनियों का मुंबई शेयर बाजार सूचकांक पिछले तीन महीनों में करीब 22 प्रतिशत चढ़ा है और छह महीनों में इसमें 57 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है।

पिछले तीन महीनों में साफ्टवेयर कंपनियों पर आधारित मुंबई शेयर बाजार के सूचकांक ने 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखाई है। तमाम बड़ी साफ्टवेयर कंपनियां नई परियोजनाओं की, नई भर्तियों की बातें कर रही हैं। यह सुखद है। अर्थव्यवस्था की बेहतरी का रास्ता नए और बेहतर रोजगारों से होकर जाता है। रोजगार की बढ़ोत्तरी से लोगों को काम मिलता है, तमाम उद्योगों को नई मांग मिलती है।

वित्तमंत्री जेटली के बजट का पूरा प्रभाव आते–आते करीब साल भर का समय लगेगा। तब शायद उद्योग जगत की स्थिति और बेहतर दिखाई पड़े। पर सरकार के लिए चिंता का विषय रिटेल महंगाई बनी हुई है। टमाटर, आलू, प्याज के भावों पर नियंत्रण अब भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह सरकार की सिर्फ आर्थिक चिंता का नहीं, राजनीतिक चिंता का विषय भी है। कांग्रेस के नेताओं के महंगाई पर जो बेहूदे बयान आया करते थे, उनसे प्रतियोगिता अब भाजपा नेता भी करने लगे हैं। पिछले दिनों भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया कि लाल टमाटर वे लोग खाते हैं जो अमीर होते हैं, लाल गालों वाले होते हैं। कांग्रेस के नेताओं के महंगाई पर संवेदनहीन बयानों का नतीजा कांग्रेस देख चुकी है। वे बयान देने वाले नेता आज कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। भाजपा नेताओं को यह समझना चाहिए। ❑

ऊर्जा संकट की चुनौती

भविष्य में शाश्वत ऊर्जा क्षेत्रों की बड़ी संभावनाएं हैं क्योंकि इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वांछित कमी लाई जा सकती है। विशेषकर विकेंद्रित ग्रामीण ऊर्जा विकास में विभिन्न शाश्वत ऊर्जा स्रेतों की बेहतर संभावनाएं हैं। शाश्वत ऊर्जा स्रोतों के विकास में पहले हुई गलतियों से बचना पड़ेगा व इनको आरंभ से ही पर्यावरण की रक्षा के साथ जन–हित से जोड़कर आगे बढ़ना होगा। ऊर्जा क्षेत्र में जो साधन सीमित रूप से उपलब्ध हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, उनका उपयोग राष्ट्रीय हित में बहुत सावधानी से होना चाहिए। इनका दोहन कतई निजी मुनाफे पर आधारित नहीं होना चाहिए।

■ **भारत डोगरा**

देश में ऊर्जा संकट की सबसे चर्चित अभिव्यक्ति उन लाखों लोगों के बढ़ते आक्रोश में हो रही है जो गर्मी और उमस के माहौल में बिजली से वंचित कर दिए जाते हैं। पर इसके अतिरिक्त ऊर्जा संकट के कई अन्य बेहद चिंताजनक आयाम सामने हैं। हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम–तेल है व इसका 77 प्रतिशत हिस्सा आयात पर निर्भर है। कुल आयातों के मूल्य में 37 प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम–तेल का है जो तेल की बढ़ती अंतराष्ट्रीय कीमतों के साथ और बढ़ सकता है। इस तरह तेल का आयात देश के व्यापार घाटे की चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है। जहां एक ओर देश के अनेक ताप बिजलीघरों में कोयले की उपलब्धि समय पर न होना बड़ी समस्या है, वहीं दूसरी ओर कोयला राष्ट्रीयकरण कानून में संशोधन कर विभिन्न कंपनियों को कैपटिव कोल खदान देने की नीति बुरी तरह पिट चुकी है और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है।

दूसरी ओर कोयला क्षेत्र का सही विकास न होने के कारण कोयला आयात बढ़ रहा है। ऊर्जा संकट की अन्य अभिव्यक्ति यह है कि देश के बहुत से गांववासी आज भी बिजली से पूरी तरह वंचित हैं। धुएं भरे माहौल में भोजन पकाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। दूसरी ओर कुछ स्थानों पर बिजली उत्पादन के संयंत्र इतने अधिक लग रहे हैं कि उनसे इन क्षेत्रों में गंभीर प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकारों पर बहुत दबाव है कि वह बिजली मुहैया कराने के साथ उसे सस्ता भी रखें। कृषि के लिए निःशुल्क या बहुत सस्ती बिजली की भी मांग है। दूसरी ओर बिजली परियोजनाओं द्वारा हो रहे विस्थापन, प्रदूषण व अन्य पर्यावरणीय विनाश के विरुद्ध भी जन–आंदोलन हो रहे हैं।

अनेक विकट स्थितियों के बीच यह बहुत बड़ा सवाल है कि ऊर्जा स्थिति को पटरी पर कैसे लाया जाए। विभिन्न मांगों को एक साथ कैसे पूरा किया जाए जबकि इनमें से कुछ मांगे परस्पर अलग दिशा में जा रही लगती हैं। यह सवाल

ऊर्जा संरक्षण के लिए गांववासियों को प्रोत्साहित करना चाहिए व उनके व्यावहारिक ज्ञान से निकले सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। चर्चित मंगल टरबाइन का यदि उचित प्रसार देश में किया जाए तो नदी–नालों से पानी लिफ्ट करने में प्रतिवर्ष लाखों लीटर डीजल की बचत हो सकती है। एक ओर किसानों का खर्च कम होगा तो दूसरी ओर ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा।

ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अपितु अर्थव्यवस्था को सही राह पर लाने व पर्यावरण की रक्षा दोनों दृष्टिकोणों से बहुत महवपूर्ण है। सवाल यही नहीं है कि ऊर्जा आवश्यकताएं किस हद तक पूरी हो रही है अपितु यह भी कि किस तरह से पूरी हो रही हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 750 लाख ग्रामीण परिवारों व 60 लाख शहरी परिवारों तक बिजली नहीं पहुंची थी अथवा बिजली से वंचित परिवारों की कुल संख्या आठ करोड़ 10 लाख थी। 2001 में यह संख्या 7 करोड़ 50 लाख थी। दूसरे शब्दों में वंचित परिवारों तक बिजली पंहुचाने में वर्ष 2001–11 के दौरान बहुत कम प्रगति हुई जबकि इस दौरान 95000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी गई। इन आकंड़ों से पता चलता है कि जो नई बिजली उत्पादन क्षमता जुड़ रही है, उसका कितना कम लाभ उन तक पंहुच रहा है जो बिजली से सबसे अधिक वंचित हैं।

भविष्य में उच्च प्राथमिकता इन 7.5 करोड़ वंचित परिवारों तक बिजली ले जाने को मिलनी चाहिए। जो परिवार व वर्ग सबसे जरूरतमंद हैं, उनकी ऊर्जा जरूरतों को सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। ईंधन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भोजन पकाने वाले का स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव हो। कृषि में जो ऊर्जा बैल व अन्य पशुओं से सहज उपलब्ध थी वह भी रहनी चाहिए। रासायनिक खाद आधारित खेती के स्थान पर ऑर्गेनिक खेती जितनी बढ़ सकेगी, उतना ही ऊर्जा संरक्षण की स्थिति से बेहतर होगा। ऊर्जा संरक्षण के लिए गांववासियों को प्रोत्साहित करना चाहिए व उनके व्यावहारिक ज्ञान से निकले सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। चर्चित मंगल टरबाइन का यदि उचित प्रसार देश में किया जाए तो नदी–नालों से पानी लिफ्ट करने में प्रतिवर्ष लाखों लीटर डीजल की बचत हो सकती है। एक ओर किसानों का खर्च कम होगा तो दूसरी ओर ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा।

जलवायु बदलाव के संकट को नियंत्रण में रखने के लिए यथासंभव ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में कोयला आधारित ताप बिजली घरों की सीमित भूमिका ही स्वीकार्य है। वैसे कोयले के भंडार भी सीमित हैं। अतः कुछ वर्षों तक कोयले का सीमित उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करने के साथ–साथ हमें पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर विकल्पों की दिशा में अधिक ध्यान लगाना चाहिए। ताप बिजलीघरों का प्रसार वास्तविक जरूरतों व विकल्पों की संभावना को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। नई–नई परियोजनाएं स्वीकृत करते जाना उचित नहीं है।

योजना आयोग ने 2032 तक ताप बिजलीघरों की कितनी क्षमता होनी चाहिए, इसके अनुमान प्रस्तुत किए थे। पर पुणे स्थित प्रयास संस्था ने 2011 में यह पता लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय से कितनी ताप बिजलीघरों को स्वीकृति मिल चुकी थी या मिलने वाली थी, तो पता चला कि जितनी जरूरत का अनुमान लगाया गया था, उससे तीन गुणा अधिक क्षमता के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा रहे थे। इनमें से अनेक ताप बिजलीघर परियोजनाओं को पहले से सघन बिजली उत्पादन के क्षेत्रों व अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्वीकृति दी जा रही थी। इससे पता चलता है कि बिजली व ऊर्जा का नियोजन किस हद तक पटरी से उतर चुका है। नई परियोजनाओं को तेजी से आगे ले जाने की होड़ में यह तक नहीं पूछा जा रहा है कि देश की वास्तविक जरूरतें क्या हैं।

यही स्थिति कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में पनबिजली परियोजनाओं की है। पर्यावरण विनाश व विस्थापन की परवाह किए बिना तेजी से नई परियोजनाएं हथियाने के प्रयास हावी हैं। न इन पर्वतीय क्षेत्रों का बिजली आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है, न इन्हें प्राप्त करने के विकल्पों को। ताप बिजली और पन बिजली दोनों की परियोजनाओं का चयन और क्रियान्वयन सावधानी से होना चाहिए। इसमें स्थानीय पर्यावरण व वहां के लोगों की भलाई के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। परमाणु बिजली संयंत्रों में तो यह सावधानियां और भी जरूरी हैं।

भविष्य में शाश्वत ऊर्जा क्षेत्रों की बड़ी संभावनाएं हैं क्योंकि इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वांछित कमी लाई जा सकती है। विशेषकर विकेंद्रित ग्रामीण ऊर्जा विकास में विभिन्न शाश्वत ऊर्जा स्रेतों की बेहतर संभावनाएं हैं। शाश्वत ऊर्जा स्रोतों के विकास में पहले हुई गलतियों से बचना पड़ेगा व इनको आरंभ से ही पर्यावरण की रक्षा के साथ जन–हित से जोड़कर आगे बढ़ना होगा। ऊर्जा क्षेत्र में जो साधन सीमित रूप से उपलब्ध हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, उनका उपयोग राष्ट्रीय हित में बहुत सावधानी से होना चाहिए। इनका दोहन कतई निजी मुनाफे पर आधारित नहीं होना चाहिए। ❑

बढ़ता पर्यावरण संकट और एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता

पचास वर्ष पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादन का यह स्वर्ण जयन्ती वर्ष है। आज विश्व में बढ़ते पर्यावरण संकट और उससे उपजते खतरों को देखते हुए एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता अत्यन्त बढ़ गयी है। देश के सन्तुलित आर्थिक विकास की दृष्टि से भी एकात्म मानव दर्शन अत्यन्त उपयोगी है। आज की सभी प्रकार की वैश्विक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विषमताओं का सर्वाधिक सहज समाधान, व्यावहारिक जीवन में एकात्म मानव दर्शन को अपनाकर किया जा सकता है। लेकिन, समग्र एकात्म मानव दर्शन का विवेचन एक ऐसे लघु लेख में सम्भव नहीं है। इसलिये प्रस्तुत लेख में केवल वर्तमान में बढ़ती पर्यावरणीय विषमताओं से उपजते खतरों तक ही चर्चा को सीमित रखते हुए, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एकात्म मानव दर्शन की उपादेयता को इंगित करने का प्रयास किया गया है।

■ डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा

पर्यावरण परिवर्तन पर कार्यरत अर्न्तराष्ट्रीय पैनल की हाल की चेतावनी विश्व के संपूर्ण जनजीवन और समस्त जीव सृष्टि के लिये गंभीर संकटों के प्रति आगह करने वाली है। विश्व के 120 देशों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत इण्टर गर्वमेन्टल पैनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज, ने विश्व के बढ़ते तापमान, पिघलते हिमनदों और बढते सामुद्रिक जलस्तर के बारे में गंभीर चेतावनी दी है। विश्व के बढते तापमान के कारण दक्षिणी गोलार्द्ध में कृषि फसलों के जल्दी पक जाने से फसलों की उत्पादकता में भारी गिरावट आ सकती है और भारत सहित दक्षिणी गोलार्द्ध के कई देशों में खाद्य संकट उपजने की संभावनाएँ बढ़ जायेंगी। इस अन्तर्राष्ट्रीय पैनल के ताजा प्रतिवेदन के अनुसार पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में बर्फ की मात्रा आधी रह गई है। ऐसे भी अनुमान है कि आगामी 20 से 25 वर्षों में तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो, हिमालय के हिमनद पिघल सकते हैं और गंगा नदी मौसमी नदी में बदल सकती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ 20वीं शताब्दी में वातावरण के तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र का जलस्तर प्रतिवर्ष 1.8 मि.मी. बढ़ रहा था, वहीं हाल के वर्षों में समुद्र का जलस्तर अब 3.2 मि.मी. वार्षिक की दर से बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान से वायु मण्डल की नमी या आर्द्रता को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रति एक डिग्री तापमान वृद्धि से वायुमण्डल में आर्द्रता 7 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। हाल ही में उड़ीसा व आन्ध्र प्रदेश में आये हुए चक्रवातों से लेकर अनेक पर्यावरणीय आपदाऐं इस बढ़ते हुए तापमान का ही परिणाम है।

वैश्विक वातावरण में बढ़ रही इस विशमता के परिणामस्वरूप जन जीवन व सम्पूर्ण जीव सृश्टि के लिये उपजते संकटों के प्रति आज सारा विश्व गम्भीर रूप से चिन्ताग्रस्त है। इन्हीं चिन्ताओं के चलते दिसम्बर 2009 में विश्व के 192 राश्ट्रों के प्रतिनिधियों ने कोपेनहेगन में मिलकर समाधान खोजने का भी प्रयत्न किया था। लेकिन आधुनिक विकास में पिछड़ जाने के भय से दो सप्ताह चला यह सम्मेलन भी लगभग विफल रहा।

उसके बाद दोहा से लेकर वारसा तक में हुये संयुक्त राष्ट्र के वातावरण परिवर्तन पर हो रहे आधारभूत सम्मेलनों (यू.एन., फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेन्ज) में कोई सार्थक समझौता नहीं हो पाया है। अनियंत्रित उपभोग एवं उत्पादन केन्द्रित आर्थिक वृद्धि की होड़ में, बढ़ रहे ऊर्जा व अन्य संसाधनों के उपभोग से, आज जल, थल एवं वायु सभी गम्भीर रूप से प्रदूशित हो रहे हैं एवं धरती पर विद्यमान अधिकांश प्राकृतिक संसाधन आगामी चालीस से सत्तर वर्शों में चुकते चले जायेंगे। कार्बन डाइआक्साइड सहित विविध ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, भवसन तंत्र सम्बन्धी रोग बढ़ रहे हैं एवं पृथ्वी की रक्षा कवच रूपी ओजोन की परत का क्षरण हो रहा है। वायुमण्डल की ओजोन परत के क्षरण से सूर्य की पराबैंगनी किरणें वातावरण के तापमान को और तेजी से बढ़ायेंगी और चर्म कैन्सर सहित कई नवीन रोगों को जन्म देंगी। इस बढ़ते तापमान से गलते हिमनद व पिघलती ध्रुवीय हिम परत एक ओर तो समुद्र के जल स्तर को इतना बढ़ा देंगी कि कई नगर एवं

द्वीप जल मग्न हो जायेंगे। दूसरी ओर हिमनदों के पिघल जाने से गंगा जैसी सदानीरा नदियाँ सूखती चली जायेंगी और उच्च तापमान पर, फसलों के अल्पावधि में ही पक जाने से उनकी उपज घटेगी और इससे गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न होगा।

गंभीर प्रदूशण के कारण विगत पूरी भाताब्दी (1901 से 2000) की तुलना में पिछले एक दशक (2000–2009) की ग्रीश्म ऋतु, सर्वाधिक गरम रही है। वर्शा में अनियमितता जनित क्रमिक अकाल व बाढ़ें, समुद्री तूफानों की बढ़ती आवृत्ति व व्यापकता, महासागरों से लेकर छोटे–छोटे जलाशयों एवं भू गर्भीय जल पर्यन्त सभी जल संसाधनों का बढ़ता प्रदूशण, रासायनिक कृशि से बंजर होती भूमि एवं त्वरित निर्वनीकरण आदि सम्पूर्ण जीव सृश्टि के अस्तित्व के लिये चुनौती बनते जा रहे हैं। विगत 50 वर्शों में 120 करोड़ हेक्टर कृशि योग्य भूमि, जो पृथ्वी के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 9 प्रतिशत है, ऐसी बंजर भूमि में बदल गयी है जिसमें अब किसान के लिये खेती करना सम्भव नहीं रहा है। अकेले 1990–95 के बीच छः वर्श की अवधि में ही 5.6 करोड़ हेक्टर क्षेत्रों का निर्वनीकरण हुआ है।

आज विकासशील देशों में 80 करोड़ व विकसित देशों में 3.4 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा में जूझ रहे हैं। भारत में भी 34 करोड़ लोग आज खाद्य संकट से ग्रस्त है। विगत 25 वर्शों में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भी 30 प्रतिशत की कमी आयी है और वर्श 2050 तक विश्व की 42 प्रतिशत जनसंख्या जल की अपर्याप्त उपलब्धि की शिकार हो जायेगी। विश्व के कुछ प्रमुख देशों में औसत जल उपलब्धी किस प्रकार घटेगी यह *तालिका क्रमांक–1* से स्पश्ट है। इसी घटती जल उपलब्धि से कृशि, उद्योग सहित सभी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्त्ति होनी है।

विश्व में कुल 140 करोड़ घन किमी जल है इसमें से केवल 2.7 प्रतिशत या 3.7 करोड़ घन किमी ही भाुद्ध जल है, जिसका भी अधिकांश भाग ध्रुवीय क्षेत्र या गहरे जल स्रोतों के रूप में है। भारत की जनसंख्या विश्व की 15 प्रतिशत है, लेकिन हमारे भाुद्ध जल के स्रोत विश्व के भाुद्ध जल के 4 प्रतिशत ही है। भारत की वार्शिक जल उपलब्धता 40 करोड़ हेक्टर मीटर है। इसमें भी लगभग 7–10 करोड़ हैक्टर मीटर हिमपात से प्राप्त होता है, और 30 करोड़ हैक्टर मीटर मानसून से प्राप्त होता है। एक ओर बढ़ती उष्मा से जिस गति से हिमालय के हिमनद पिघल रहे है, हिम–जल के स्रोत घटते जायेंगे।

कुछ वैज्ञानिक आकलन ऐसे भी है, कि 2035 तक ये हिमनद पूरी तरह गल सकते है। ऐसे में गंगा व यमुना जैसी सदा नीरा नदियाँ वर्शाकाल के बाद सूख सकती हैं, एवं देश के जल स्रोत का एक चौथाई चुक सकता है। देश के कुल जल संसाधनों का 83 प्रतिशत सिंचाई में प्रयुक्त होता है।

तालिका क्रमांक 1
विश्व के प्रमुख देशों में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

देश	घटती प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता		
	वर्ष 1975	वर्ष 2000	वर्ष 2025
भारत*	3100	1900	1400
चीन	3000	2200	1900
पाकिस्तान	5600	2700	1600
इंग्लैण्ड	1300	1200	1200
अमरीका	11300	8900	7600
बांग्लादेश	15800	9400	6800

*भारत के पास विश्व की सर्वाधिक 18.5 करोड़ हेक्टर कृशि योग्य भूमि होने व वर्श भर कृशि योग्य मौसम होने से जल आवश्यकता विश्व में सर्वाधिक है एवं कुल जल का 83 प्रतिशत कृशि मे प्रयुक्त होने से जलाभाव का संकट गम्भीर रूप ले सकता है। विशेशकर, देश की आधी से अधिक जनसंख्या कृशि पर निर्भर होने से घटती प्रति व्यक्ति जल उपलब्धि अत्यन्त चिन्ताजनक है।

अनियंत्रित उपभोग व प्रदूषण

आज पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण, विकास की परिभाषा अधिकतम उत्पादन व उपभोग पर आधारित है। यथा जिस देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा व खनिज सहित विविध उत्पादों का जितना अधिक उत्पादन व उपभोग है, उसे उतना ही विकसित माना जाता है, अर्थात् जो देश इन सबके उत्पादन व उपभोग में सर्वाधिक पर्यावरण विनाश करता है, वही सर्वाधिक विकसित माना जाता है। आज अमेरिका में प्रति 1000 व्यक्ति पर 765 व यूरोप में 300 वाहन हैं। चीन में 2005 तक प्रति हजार व्यक्तियों पर 24कारें थी जो आज बढ़कर 40 हो गयी है। अब 2010 के अन्त तक चीन विश्व का सबसे बड़ा कार उत्पादक व उपभोग वाला देश भी बन गया है। बढ़ते वैश्विक तापमान का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन है। चीन आज सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। अमेरिका चीन के बाद है, मगर चीन का

उत्सर्जन अमेरिका के दुगने से भी अधिक है।

वस्तुतः जिस देश का ऊर्जा व अन्य संसाधनों का जितना अधिक उपभोग है, वह उतना ही अधिक पर्यावरण विनाशकर्त्ता है। इसलिये यदि प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की दृश्टि से भी देखें तो भारत का प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग मात्र 631 किलोवाट हावर (Kwh) है। जबकि कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैण्ड, रूस व इटली का प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग क्रम ाः 17,179 Kwh, 13,338 Kwh, 11,126 Kwh, 8076 Kwh, 7689 Kwh, 7030 Kwh, 6206 Kwh, 5642 Kwh, व 17,179 Kwh हैं। विद्युज्जन भी एक प्रमुख प्रदूशणकारी क्रिया है।

उपभोग की विषमता

उपरोक्त ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन व विद्युत उपभोग एवं खनिजों सहित अन्य संसाधनों के उपभोग में राष्ट्रों के बीच भारी अन्तराल से ही प्रतीत हो जाता है कि जो व्यक्ति व देश आर्थिक दृश्टि से जितने सम्पन्न है, वे उतना ही अधिक संसाधनों का उपभोग कर वातावरण का विनाश कर रहे हैं। साधनों के उपभोग में यदि विश्व के 20 प्रति ात धनाढ्यतम व निर्धतनम व्यक्तियों के बीच के अन्तर पर एक दृष्टिपात करें तो यह स्पश्ट हो जाता है कि सम्पन्नतम वर्ग का अनियंत्रित उपभोग ही आज की पर्यावरण विनाश का कारण है।

विश्व की धनाढ्यतम 20 प्रतिशत जनसंख्या आज गैर सरकारी क्षेत्र के कुल उपभोग का 87 प्रतिशत उपभोग कर रही है। वहीं विश्व के 20 प्रतिशत निर्धनतम लोग गैर सरकारी क्षेत्र के कुल उपभोग का मात्र 1.32 प्रतिशत ही उपभोग कर रहे हैं। विश्व की 20 प्रतिशत सर्वाधिक धनी जनसंख्या कुल ऊर्जा का 56 प्रतिशत व निर्धनतम 20 प्रतिशत केवल 4 प्रतिशत उपभोग कर रही है। विश्व के कुल कागज उत्पादन का 84 प्रतिशत विश्व की 20 प्रतिशत धनाढ्यतम व मात्र 1.3 प्रतिशत का 20 प्रतिशत निर्धनतम जनसंख्या उपभोग कर रही है। कारों के उपयोग की दृश्टि से 86 प्रतिशत कारें 20 प्रतिशत सम्पन्नतम लोगों के पास व 1.4 प्रतिशत कारें विश्व के 20 प्रतिशत निर्धनतम लोगों के पास हैं। उपभोग में यह विशमता विगत 4 दशकों में बढ़ती ही चली गयी है। विश्व के सबसे धनी 20 प्रतिशत व सबसे निर्धन 20 प्रतिशत के बीच उपभोग व्यय अनुपात 1970 में 30:1 था, जो बढ़कर 77:1 हो गया एवं नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते धनी व निर्धन के बीच यह खाई बढ़ती ही जा रही है। इसलिये वैश्विक प्रदूशण की दृश्टि से भी कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन की दृश्टि से 56 प्रतिशत उत्सर्जन विश्व के सबसे धनी 20 प्रतिशत का व 3.1 प्रतिशत उत्सर्जन सबसे निर्धन 20 प्रतिशत का है।

प्रति व्यक्ति उत्पादन व प्रति व्यक्ति उपभोग आधारित विकास की आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति व राश्ट्र में अपने उत्पादन व उपभोग को अधिकतम करने की स्पर्द्धा, पर्यावरण के इस क्षरण को अधिकाधिक विषमता की ओर ही ले जाएगी। प्रति व्यक्ति उपभोग व उत्पादन में वृद्धि के इस स्पर्द्धात्मक दौर में जहाँ एक ओर तो देश व विश्व के अधिकांश खनिज संसाधन आगामी 30 से 60 वर्शों के चुक ही जायेंगे, सारे सघन वन विरल होते–होते नाम मात्र के रह जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी की परत नश्ट होकर वे सभी क्षेत्र स्थायी रूप में हरीतिमा विहीन हो जायेंगे। रासायनिक कृशि से कृशि योग्य भूमि बंजर होती चली जायेगी। वायुमण्डल इतना विशाक्त हो जायेगा कि बिना मास्क के खुले में चलना–फिरना कठिन हो सकता है। कीटनाशकों व रसायनों से भू–गर्भीय जल सहित सारे जल स्रोत इतने प्रदूशित हो जायेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस से फिल्टर किये बिना जल पीना संभव नहीं रह जायेगा। आगामी पीढ़ीयों के लिये हम न तो कोई संसाधन छोड़ कर जायेंगे एवं नहीं ही उनके लिये यह धरती निवास व जीवन निर्वाह के लिये वैसी ही निरापद रहेगी, जैसी हमें हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुयी है।

विकल्पः एकात्म मानव दर्शन आधारित ''धारणक्षम विकास''

धारणक्षम या टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक है कि हम अपने उपभोग को 'धारणक्षम उपभोग' की सीमा में परिमित करे, अर्थात् हम उपभोग को इस प्रकार परिमित करें कि, समस्त संसाधनों की उपलब्धि अनन्तकाल तक भावी पीढ़ियों के लिये सुलभ रहे। इसे सुनिश्चित करने हेतु हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित विकास के ''एकात्म मानव दर्शन'' के विचार को अपनाना होगा।

धारणक्षम उपभोग या संधारणीय उपभोग : यदि हम अपना प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ाते चले गये और उसमें भी अ-नवकरणीय (Non-renewable) संसाधनों का ही उपभोग करते चले गये तो यह अधिक समय तक नहीं चल पायेगा। इसी प्रकार नवकरणीय साधनों का भी उनके 'नवकरण की गति' (rate of renewal) से अधिक गति से किया तो वे भी नश्ट हो जायेंगे। यथा ताम्बा, लोहा, सीसा, जस्ता, कोयला, पेट्रोलियम व अन्य खनिज आदि अ–नवकरणीय हैं। जल, जल विद्युत, वायुजनित ऊर्जा, वनस्पति जगत आदि नवकरणीय है जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं। इन नवकरणीय साधनों का उपभोग भी

उनके पुनर्जनन की गति से अल्प या धीमी गति से करने पर ही वे भावी पीढ़ियों के लिये सुलभ रहेंगे। आज विश्व में वाहनों व अन्य धात्विक उत्पादों का जो प्रति व्यक्ति उपभोग है उसकी पूर्त्ति प्रति व्यक्ति 12–15 टन वार्शिक टन की दर से भू–गार्भिक खनिजों का 'खनन व प्रविधेयन' (Mining and Processing) से ही होती है। अब यदि हम जितना इनका उपभोग बढ़ायेंगे उतनी ही धरती जर्जर होकर अन्ततः संसाधन विहीन होती चली जायेगी। चीन में 2005 में प्रति एक हजार जनसंख्या पर 24 कारें थी अब 40 हो गयी है। चीन आज विश्व का सबसे बड़ा कार उत्पादक देश बनने जा रहा हैं। यूरोप में प्रति 1000 जनसंख्या पर 300 व अमेरिका में 765 वाहन हैं। क्या पूरे भोश विश्व में 100 या 50 कार प्रति हजार छोड़ 20 कार प्रति हजार की संख्या भी धारणक्षम हो सकेंगी? इसी प्रकार अन्य उत्पादों का भी विचार करिये। इस प्रकार अ–नवकरणीय (Non-renewable) साधनों के प्रति व्यक्ति उपभोग में प्रत्येक वृद्धि हमारे कल का उजाड़ने वाली ही है। नवकरणीय साधनों के उपभोग में वृद्धि की वर्तमान दर भी विश्व के इतनी अधिक है कि उनका पुनर्जनन संभव नहीं होने से भावी विकास को चौपट करेगी। आज वि व में कई पादप व जन्तु प्रजातियॉ भी लुप्त हो गयी है।

इस सम्पूर्ण विनाशकारी विकास क्रम का आभास हमारे मनीशियों को लाखों वर्श पूर्व ही था। इसलिये ईशावास्योपनिशद में कहा है कि यह सम्पूर्ण विश्व 'परब्रह्म परमेश्वर' से व्याप्त है, इसका त्याग पूर्वक भोग करो''। यथाः

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्व स्विद्धनम।।

यदि हम अकारण विद्युत का अपव्यय करते है, तो कहीं न कहीं ताप विद्युत गृह में कोयले का दहन होगा, कार्बनडाइ आक्साइड व अन्य गैसें वायुमण्डल को प्रदूशित करेंगी और कोयले के भण्डार चुकेंगे। प्रत्येक वस्तु या सेवा के उपभोग में हमें यही देखना होगा कि इससे पर्यावरण की कितनी क्षति हो रही है? हम कितने 'कार्बन फूट प्रिण्ट' या 'कार्बन पग चिन्ह' या 'प्रदूशक पग चिन्ह' छोड़ रहे हैं।

एकात्म मानव दर्शन (Integral Humanism): पर्यावरण के क्षेत्र में बढ़ती विषमताओं और आर्थिक विकास की दृष्टि से 50 वर्ष पूर्व, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म मानव दर्शन' आज एकमात्र समाधान प्रतीत होता है। यदि व्यक्ति स्वयं को सम्पूर्ण वैश्विक संरचना के एक अंगागी घटक के रूप में मानकर चलता है, तब ऐसी स्थिति में हमारे सारे व्यवहार पर्यावरण व समाज के प्रति सहिष्णुता पूर्ण होंगे। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, जीव–सृष्टि और परमेष्टी परस्पर अवलम्बित हैं। इन सबके बीच परस्पर संबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए ही विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपना उपभोग व जीवन–चर्या निश्चित करनी चाहिए। पंडित दीनदयाल जी के इस विचार के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को यह विचार मन में रखना चाहिए कि, वह स्वयं कोई स्वायत्त या सम्प्रभु इकाई नहीं होकर वह अपने परिवार व समाज का अंग है। प्रत्येक परिवार, अपने समाज या समुदाय का अंग है। समाज, या समुदाय राश्ट्र का अंग है। राश्ट्र विश्व का, विश्व इस सम्पूर्ण सृश्टि का, और यह सृश्टि उस परमेश्टी का अंग है जो इस अनन्त ब्रह्माण्ड में संव्याप्त है। इसलिये हमारा उपभोग इन सभी घटकों के बीच समन्वय पर आधारित होना चाहिये।

वस्तुतः मानव, परिवार, समाज, विश्व आदि के रूप में ये वलय भी पृथक–पृथक या खण्ड–खण्ड पृथकता वाले घटक न होकर एक ही समेकित इकाई के परस्पर अवलम्बित व अविच्छिन्न घटक हैं। इन्हें, एकात्म मानव दर्शन के भारतीय चिन्तन की व्याख्या करते हुये, स्व. दीनदयाल जी उपाध्याय ने निम्नानुसार अखण्ड मण्डलाकार रूप में दर्शाया है।

इस प्रकार व्यक्ति यदि समश्टि से एकात्मकता का अनुभव कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्त्ति हेतु न्यूनतम ग्रहण करें और वह भी केवल नवकरणीय साधनों से तब ही यह सृश्टिक्रम अनवरत निर्बाध जारी रहेगा। यही बात 1965 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 50 वर्ष पूर्व प्रतिपादित की थी। यह वर्ष एकात्म मानव दर्शन के विचार का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है। इस वर्ष में हमें अपने सोच व आचरण में तत्सम्बन्धी परिवर्तन लाना चाहिये। साथ ही एकात्म मानव दर्शन की विचारधारा को समग्र आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन में स्थापित करने की भी पहल आवश्यक है। ❑

चीन के उगते सूरज को पकड़िये

साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका के अनुसार अमरीका में इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस तथा फिजिक्स में आधे से अधिक पीएचडी विदे□ाी छात्रों को दी जा रही है। पत्रिका के अनुसार अमरीकी स्कूलों के द्वारा पर्याप्त संख्या में सक्षम ग्रेजुएट पास नहीं किये जा रहे हैं जो उच्च ि□ाक्षा में अपना स्थान बना सकें . . . ज्ञात हो कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में विदे□ाी छात्र ि□ाक्षा प्राप्त करके वापस अपने दे□ा लौट रहे हैं। ये छात्र अग्रणी तकनीकों को अपने साथ स्वदे□ा ला रहे हैं। अतः आने वाले समय में अमरीका को चीन तथा भारत जैसे दे□ाों से कड़ा सामना करना होगा। आज जो अमरीका की नम्बर 1 स्थिति है उसका कायम रहना कठिन है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

अमरीकी विदे ा मंत्री जान केरी की यात्रा के पहले चीन के विदे ा मंत्री वांग ली भारत आ चुके हैं। वि व के इन दोनों ध्रुवों के बीच भारत को लुभाने की होड़ लगी हुयी है। श्री कैरी की यात्रा का तात्कालिक उद्दे य प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की अमरीका यात्रा की भूमिका तय करना है। अमरीका का प्रयास है कि भारत अपने को अमरीकी प्रभाव क्षेत्र में रखे और अमरीका के साथ मिलकर चीन का सामना करे। रस्साकसी के खेल में बीच में बंधी रुमाल को दो टीमें अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार बीच में खड़े भारत को अमरीका तथा चीन अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं।

हमें तय करना है कि वि□व समुदाय के इन दो उभरते ध्रुवों में से किसे पकड़ेंगे। निःसंदेह आज वि□व में अमरीका का बोलबाला है। अमरीका का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 16 हजार करोड़ डालर प्रति वर्ष है। चीन का 8 हजार करोड़ डालर पर लगभग इसका आधा है। परन्तु दि□ाा इसके विपरीत है। अमरीका की विकास दर लगभग 2 प्रति□ात है जबकि चीन की 7 प्रति□ात। अतः कुछ वर्षों में चीन की अमरीका से आगे निकलने की परिस्थिति बन रही है।

अमरीका की समस्या ऋण की है। अर्थव्यवस्था में ऋण के भार का आकलन जीडीपी के संदर्भ में किया जाता है। जैसे

टैक्सी मालिक की वार्षिक आय एक लाख रुपये हो तो 5 लाख का ऋण भारी है। इसके सामने ट्राला मालिक की आय 20 लाख हो तो वही 5 लाख का ऋण मामूली रह जाता है। अर्थ ाास्त्रियों की दृष्टि में दे ा का ऋण यदि जीडीपी से ज्यादा हो तो अर्थव्यवस्था को कमजोर माना जाता है। वर्ष 2007 में अमरीका का ऋण जीडीपी का 67 प्रति ात था। आज यह जीडीपी से कुछ अधिक हो गया है।

यहां बताना जरूरी है कि अमरीकी सरकार का घाटा तेजी से घट रहा है। वर्ष 2012 में घाटा 106 हजार करोड़ डालर था जो कि 2013 में 56 हजार करोड़ डालर रह गया है। परन्तु यह रकम अभी भी बहुत वि ााल है। यूएसए टुडे के अनुसार इस घटत के बावजूद कुल ऋण के बढ़ते जाने का अनुमान है। वर्तमान में अमरीका का ऋण 17 हजार करोड़ डालर है जो अगले दस वर्षों में 27 हजार करोड़ डालर हो जाने का अनुमान है। अतः अमरीका के ऋण के दलदल से निकलने की संभावना कम ही है। वह देश आईसीयू से बाहर आ गया है परंतु अभी अस्पताल में ही भरती है।

चीन की स्थिति ठीक विपरीत है। वह देश ऋण भून्य है। बल्कि लगभग दो

हजार करोड़ डालर का ऋण उसने अमरीका को दिया है। यूं समझें कि हमें घाटे में चल रहे एक वि ालकाय बैंक तथा लाभ में चल रहे एक छोटे बैंक के बीच चयन करना है। मैं अपनी रकम लाभ में चल रहे बैंक में ही जमा कराना चाहूंगा चूंकि बीमार बैंक कब धारा ायी हो जायेगा इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है।

अमरीका और चीन के बीच चयन करने का दूसरा आधार आधुनिक तकनीकें हैं। यहां भी वर्तमान में अमरीका को बोलबाला है। अमरीका की ताकत तकनीकी आविष्कार है। पिछली सदी में प्रमुख तकनीकी अविष्कार अमरीका में ही हुये हैं। जैसे एसेम्बली लाइन पर मोटरकार का निर्माण, उर्जा, परमाणु उर्जा, जेट हवाई जहाज और इंटरनेट। इन आविष्कारों को बेचकर अमरीका भारी मात्रा में रायल्टी कमा रहा है। वि व के निवे ाक अमरीका पर बढ़ते ऋण की अनदेखी कर रहे हैं और अमरीकी अर्थव्यवस्था की पारम्परिक तकनीकी उत्कृष्टता पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। फिलहाल अमरीकी अर्थव्यवस्था संतुलन में है। परन्तु तकनीकी अविष्कार ढीले पड़ रहे हैं और ढीले पड़ते गये तो अमरीका को ऋण मिलना बंद हो जायेगा और वह अर्थव्यवस्था संकट में आ जायेगी।

अमरीका की इस महारत का आधार उस दे ा की उच्च तकनीकी ि ाक्षा तंत्र है। अमरीकी युनिवर्सिटीयों में उत्तम ि ाक्षा मुहैया कराई जा रही है। युनिवर्सिटी से निकले इंजीनियरों द्वारा सुपर कम्प्यूटर जैसे उत्पादों का आविष्कार किया जा रहा है। परन्तु यहां चीन समेत भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमरीका की स्टैनफर्ड युनिवर्सिटी ने ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन में उच्च ि ाक्षा की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया है। बताया है कि चीन में ग्रेजुएट स्तर पर ि ाक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2000 में 30 लाख से बढ़कर 2010 में 120 लाख हो गयी है। ये दे ा वि ाष्ट उच्च ि ाक्षण संस्थाओं में भारी निवे ा कर रहे हैं जिससे कि इनके ग्रेजुएट अमरीका तथा यूरोप की प्रतिस्पर्धा में खड़े रह सकें। इंजीनियरिंग तथा कम्प्यूटर विज्ञान में इनके ग्रेजुएट विकसित दे ाों के बराबर क्षमता हासिल भी कर रहे हैं। लेकिन सामान्य कालेजों में संसाधनों का अभाव है और गुणवत्ता भी कमजोर है। इस भोाध से ज्ञात होता है कि उच्च ि ाक्षा के क्षेत्र में चीन अमरीका से टक्कर लेने को है। सामान्य कालेजों की सामान्य स्थिति को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं चूंकि विषय नई तकनीकों के विकास का है। ये नई तकनीकें वि ाष्ट वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की जाती हैं। आज हमारी आईआईटी संस्थाओं के इंजीनियर विकसित दे ाों के बराबर हैं। इन्हीं के द्वारा नये अविष्कार किये जाते हैं। अतः नई तकनीकों में अमरीका की अग्रणी स्थिति का आधार खिसक रहा है। आने वाले द ाक में हम पायेंगे कि चीन तथा भारत में भी नई तकनीकों का अविष्कार होने लगेगा।

अमरीका में नई तकनीकों के अविष्कार में विदे ाी वैज्ञानिकों का वि ोष योगदान है। साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका के अनुसार अमरीका में इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस तथा फिजिक्स में आधे से अधिक पीएचडी विदे ाी छात्रों को दी जा रही है। पत्रिका के अनुसार अमरीकी स्कूलों के द्वारा पर्याप्त संख्या में सक्षम ग्रेजुयेट पास नहीं किये जा रहे हैं जो उच्च ि ाक्षा में अपना स्थान बना सकें। पत्रिका ने खेद जताया है कि अमरीकी करदाता द्वारा अदा किये गये टैक्स से विदे ाी छात्रों को अमरीका द्वारा उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। ज्ञात हो कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में विदे ाी छात्र ि ाक्षा प्राप्त करके वापस अपने दे ा लौट रहे हैं। ये छात्र अग्रणी तकनीकों को अपने साथ स्वदे ा ला रहे हैं। अतः आने वाले समय में अमरीका को चीन तथा भारत जैसे दे ाों से कड़ा सामना करना होगा। आज जो अमरीका की नम्बर 1 स्थिति है उसका कायम रहना कठिन है।

अमरीका और चीन के बीच चयन करने के लिये हमें तात्कालिक और दीर्घकालीन स्थितियों का अलग–अलग आकलन करना होगा। तात्कालिक स्थिति अमरीका के पक्ष में है। अमरीका वि व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उच्च ि ाक्षा और तकनीकों में भी अमरीका आगे है। परन्तु दीर्घकालीन स्थिति इसके विपरीत है। अमरीका भारी ऋण से दबा हुआ है और लम्बे समय तक दबा रहेगा जबकि चीन दूसरों को ऋण दे रहा है। चीन उच्च ि ाक्षा में अमरीका की बराबरी की स्थिति में पहुंच गया है। भविष्य में अमरीका की तकनीकी उत्कृष्टता भी दबाव में आयेगी। अतः हमें अमरीका से तात्कालिक मधुर सम्बन्ध बनाये रखते हुये चीन के उगते सूरज की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिये जैसे हम फैक्ट्री के लिये तकनीक अमरीका से खरीदें लेकिन पार्टनर ि ाप चीन के साथ करें। ❑

क्यों है खास चातुर्मास

भारत के हर हिस्से में आज भी भाादी–ब्याह के मौके पर तालाब व कुआ पूजन की परंपरा मौजूद है। सोचिए! यदि तालाब–कुंए नहीं बचे, तो क्या हम हैंडपम्प, ट्यूबवैल या कुआ पूजकर परंपरा का पालन करेंगे ? गंगाजल जिस कदर प्रदूषित होता जा रहा है। आगे इसकी अक्षुण्णता बची रहेगी; इसमें संदेह है। क्या आगे भी मृत्यु पूर्व दो बूंद गंगाजल की कामना पूरी होती रहेगी? इसमें भी संदेह ही है। सोचिए! हम कैसे संस्कारवान हैं? हम अपनी पीढियों को कैसी परंपरा और संस्कृति देकर जायेंगे ?

भारत के पारंपरिक ज्ञानतंत्र की इस खूबी को अत्यंत बारीकी से समझने की जरूरत है कि एक ओर तो वह देवताओं के सो जाने का तर्क सामने रखे आशाढ़ मास के भाुक्ल पक्ष की देवशयनी एकाद ाी से भाुरु चौमासे में विवाह लग्न आदि कई भाुभ कार्यों की इजाजत नहीं देता, दूसरी ओर इस पावसी चौमासे में इतने महत्वपूर्ण मौके आते हैं कि उन्हे हम पूरी श्रद्धा और नियम से निभाने का प्रावधान है। गुरु पूर्णिमा, हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, कृश्ण जन्माश्टमी, विजयद ामी, अहोई अश्टमी, करवा चौथ, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा और नदी स्नान के वि ोश महत्व वाली कार्तिक पूर्णिमा ऐसे ही मौके हैं।

चातुर्मास में 'पितृपक्ष' का पखवाड़ा और नवरात्र के नौ दिन ऐसे अवसर होते हैं, जब स्वास्थ्य और अध्यात्म दोनो की दृश्टि से आम गृहस्थ को वि ोश निर्दे ा की जरूरत होती है। रोजे का पाक महीना भी इसी चौमासे में आता है।

वैज्ञानिक दृश्टि से देखें तो यह ऋतु बदलाव का समय होता है। इस चौमासे में वर्शा ऋतु के अवसान और हेमंत ऋतु के आगमन के बीच का समय और उधर बसंत और ग्रीश्म ऋतु के बीच का वह समय, जब रामनवमी और गुड फ्राइडे से पहले के 15 भााकाहारी प्रार्थना दिवस आता है। ये दोनो अंतराल शरीर और मन के संयम की वि ोश मांग करते हैं। ऐसे विशेश समय में यदि जगत के पालनहार सो जाएं, तो फिर जीवन के निर्देश लेने आम गृहस्थ कहां जायें?

■ **अरुण तिवारी**

चातुर्मास : गुरुज्ञान हासिल का खुला अवसर

गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागऊं पांय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाय।।

गुरु का स्थान गोविंद से आगे यूं ही नहीं माना गया। चातुर्मास में भूलोक की पालना का भार गुरुवर्ग के भरोसे छोड़कर ही भगवान श्री विश्णु भायन करने पाताल लोक जाते हैं। इसीलिए गुरु भी इस चातुर्मास में कहीं नहीं जाते। शिष्यों को पूर्व सूचना के साथ पूर्व निर्धारित एक ही स्थान पर रहते हैं। इसीलिए चातुर्मास की पहली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। शिश्य गुरु को साक्षात् अपने सामने बिठाकर पूजा करते हैं।

गौर करने की बात है कि यह वह समय होता है, जब किसान आषाढ़ की खेती बो चुके किसान के लिए फुर्सत के रात–दिन होते हैं। अगले दिन से लगने वाले सावन की झिरी घर से बाहर निकलने नहीं देती। बेटियां चाहे साल भर मायके न जायें, लेकिन सावन में जरूर जाती हैं। ऐसे में गुरु का सानिध्य शिश्य के लिए हर पल सौभाग्य का पर्व लेकर आता है। गुरु भी फुर्सत से शिश्य को जीवन–रहस्य से लेकर जीवन जीने की कला के ज्ञान का भान कराते हैं। जेठ में भटा, आषाढ़ में टपा (टपका आम), सावन में तसमई (खीर), भादों में घटा – किस महीने में क्या खाना, कैसे रहना; ये गुर भी गुरु इसी चातुर्मास में ही बताया करते थे।

चातुर्मास के दौरान मां धरती भी गर्भवती होती है। मां धरती के भीतर पल रहे ये अनन्त जीव होते हैं, नन्हे पौधे... वनस्पति। चौमासे में वनस्पतियां विकसित होती हैं। वनस्पतियों में भी संवेदना होती है। नामी वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु ने तो यह बात लंबे भाोध के बाद बहुत बाद में बताई। भारत के पारंपरिक ज्ञानतंत्र के वाहकों ने वनस्पतियों के प्रति संवेदना बहुत पहले दर्शाई। नीम और तुलसी को मां मानकर पूजा की। अलग–अलग गोत्र के लिए अलग–अलग वृक्ष विशेष को काटना निषेध बताया। ऐसे वृक्ष विशेष को उस गोत्र की 'धराड़ी' कहते हैं। भाास्त्र ने बहुत पहले कहा कि चातुर्मास में धरती की खुदाई–जुताई नहीं करनी चाहिए। सूर्य से संपर्क कम होने के कारण चौमसे में हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। इसीलिए जठराग्नि चुस्त रखने वाले बेल को शिव पर चढ़ाकर प्रसाद के रूप में पाने का विधान है। सावन में दही पर रोक और खीर बेरोकटोक खाने का प्रावधान है। ऋतु परिवर्तन के वक्त पहले श्राद्ध और फिर नवरात्रों के दौरान निर्देशित संस्कार व संयम ही पर्यावरण व सेहत संरक्षण की भारतीय निषेधाज्ञा है।

पारंपरिक ज्ञान का वाहक है – चातुर्मास

दरअसल, भाास्त्र पढ़कर समझना आम गृहस्थ के लिए इतना सहज संभव नहीं होता। चातुर्मास के दौरान गुरु–शिष्य सानिध्य के जरिए ही पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी–दर–पीढ़ी स्थानान्तरित किया जाता

रहा है। इसका दूसरा मौका माघ मास की मकर संक्रान्ति के बाद का माघ/कुंभ मेला होता है। इस समय भी किसान परंपरागत खेती के कार्य से लगभग मुक्त ही होता है। कल्प का मतलब ही होता है – परिवर्तन। गुरु का यह सानिध्य शिश्य के जीवन को बदलकर बेहतर करने के लिए ही होता है।

एक जानकारी के मुताबिक कुंभ का स्वरूप पहले आज की तरह दिखावटी न था। कुंभ सिर्फ स्नान का पर्व तो कभी नहीं रहा। भाोध करने के बाद भारतवर्ष के ऋषि उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर स्थित नैमिशारण्य के पौराणिक स्थल पर एकत्रित होते थे। धर्माचार्यों के बीच अपने भाोधों और संसार के लिए उपयोग पर चर्चा करते थे। चर्चा से हासिल निश्कर्ष को लेकर धर्मगुरु कुंभ में एकत्र होते थे। नित्य जीवन में उन शोधों के उपयोग को कल्पवासी शिष्यों के बीच प्रसारित करते थे। समाज के लिए नियमों को भी इसी दौरान प्रसारित किया जाता था। कल्पवासी शिश्य वापस लौटकर प्राप्त ज्ञान का अपने गांव–परिवार में उपयोग व प्रसार करते थे। बताते हैं कि कालांतर में समाज का कारीगर वर्ग भी अपने बनाये औजारों व कलात्मक रचनाओं को प्रदर्शन के लिए कुभ/माघ मेला आदि में लाने लगा। ऋषियों की वैज्ञानिक खोजों, कारीगरों की कारीगरी, कला और धर्माचार्यों द्वारा समाज के नियमन व मार्गदर्शन के मौके देने का काम इसी तरह चौमासे व मेलों में सदियों से होता रहा है। यह बात अलग है कि अब कुंभ धर्माचार्यों व प्रवचकों के लिए अपने ठाठ–बाट के दिखावे और महज स्नान का मौका होकर हो गया है। चौमासे का उपयोग भी अपने मूल मंतव्य व मूल्यों से भटक गया है।

चौमासे से चूकने का नतीजा

इस भटकाव का ही नतीजा है कि अब हम अपने पारंपरिक प्रकृति दिवसों को उनके मूल मंतव्यों के अनुकूल से तरीके से मनाने की बजाय दिखावटी तरीके से मनाने लगे हैं। पारंपरिक दिवसों की बजाय हमें ऐसे अंतर्राश्ट्रीय दिवस ज्यादा भा गये हैं, जिनका भारतीय कर्मयोग से कोई लेना देना नहीं। **अंतर्राश्ट्रीय पर्यावरण दिवस जून के ऐसे मौसम में आता है, जब भारत के बड़े हिस्से में लू का प्रकोप होता है। ऐसे में हम पर्यावरण बचाने के नाम पर वृक्षारोपण भी तो नहीं कर सकते। मिट्टी भी कठोर हो चुकी होती है। यह चौमासे में गुरु के सानिध्य से चूक जाने का ही नतीजा है कि हम भूल गये हैं कि प्रकृति–पर्यावरण संरक्षण के काम सभी के भाुभ के लिए होते हैं। भाुभ काम के लिए मुहुर्त भी भाुभ ही होना चाहिए। कार्तिक में देवउठनी ग्यारस और बैसाख में आखा तीज अबूझ मुहुर्त माने गये हैं। इन दो तारीखों को कोई भी भाुभ कार्य बिना पंडित से पूछे भी किया जा सकता हैं। ये हमारे जल दिवस हैं। इस चौमासे में गुरु से पूछिए कि क्यों?**

वह बतायेंगे कि देवउठनी ग्यारस वर्षा के बाद की तिथि है। तब मिट्टी नर्म होती है। उसे खोदना आसान होता है। नई जल संरचनाओं के निर्माण के लिए इससे अनुकूल समय और कोई नहीं। खेत भी खाली होते हैं और खेतिहर भी। दूसरा जल दिवस है – आखा तीज! यानी बैसाख मास के भाुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। यह तिथि पानी के पुराने ढांचों की साफ–सफाई तथा गाद निकासी का काम की भाुरुआत के लिए एकदम अनुकूल समय पर आती है। बैसाख आते–आते तालाबों में पानी कम हो जाता है। खेती का काम निपट चुका होता है। बारिश से पहले पानी भरने के बर्तनों को झाड़–पोछकर साफ रखना जरूरी होता है। हर वर्ष तालों से गाद निकालना और टूटी–फूटी पालों को दुरुस्त करना। इसके जरिए ही हम जलसंचयन ढांचों की पूरी जलग्रहण क्षमता को बनाये रख सकते हैं। ताल की मिट्टी निकाल कर पाल पर डाल देने का यह पारंपरिक काम अब नहीं हो रहा। नतीजा? इसी अभाव में हमारी जलसंरचनाओं का सीमांकन भी कहीं खो गया है... और इसी के साथ हमारे तालाब भी।

बैसाख–जेठ में प्याऊ–पौशाला लगाना पानी का पुण्य हैं। खासकर बैसाख में प्याऊ लगाने से अच्छा पुण्य कार्य कोई नहीं माना गया। इसे भाुरु करने की भाुभ तिथि भी आखातीज ही है। लेकिन अब तो पानी का भाुभ भी व्यापार के लाभ से अलग हो गया है। भारत में पानी अब पुण्य कमाने का देवतत्व नहीं, बल्कि पैसा कमाने की वस्तु बन गया है। 50–60 फीसदी प्रतिवर्ष की तेजी से बढ़ता कई हजार करोड़ का बोतलबंद पानी व्यापार! भाुद्धता के नाम पर महज एक छलावा मात्र!!

सच यह है कि यदि हम भारतीय तिथियों को इनके पारंपरिक तथा वैज्ञानिक महत्व के साथ मनाये, तो पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान खुद–ब–खुद हो जायेगा। चौमासा इनमें से एक है। जहां तक संकल्पों का सवाल है, हर वह दिवस पर्यावरण दिवस हो सकता है, जब हम संकल्प लें कि मैं हर वर्ष एक पौधा लगाऊंगा भी और उसका संरक्षण भी करुंगा। उत्तराखण्ड में ''मैती प्रथा'' है। मैती यानी मायका। लड़की जब विवाहोपरान्त ससुराल जाती है, तो मायके से एक पौधा ले जाकर ससुराल में रोप देती है। वह उसे मायके भी ससुराल की याद दिलाता है। यह दिन होता है उत्तराखण्ड की वधुओं का पर्यावरण दिवस।

गौर करने की जरूरत है कि दुनिया के अमीर देशों की वैश्विक चिंता सिर्फ कागजी है। दुनिया के दूसरे देशों के प्रति उनका असल व्यवहार व संस्कार तो उनका बाजार है। दूसरे की कीमत पर आगे बढ़ना उनका स्वभाव है। किसी के संसाधन लूटकर खुद को समृद्ध करना

उनके लिए गौरव की बात है। भारतीय सभ्यता की नींव ऐसे सिद्धांतों पर नही टिकी है। भारत की संस्कृति इसकी अनुमति भी नहीं देती।

ऐसे दायित्वों को याद करने का हमारा तरीका श्रमनिश्ठ रहा है। हम इन्हें पर्वों का नाम देकर क्रियान्वित करते रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश – भारत के लिए ये महज कोई भौतिक तत्व नहीं हैं। ये जीवन देने वाले देवतत्व हैं। भारत इन पंचतत्वों की पूजा करता हैं। चींटी, कुत्ता, मगरमच्छ से लेकर हाथी, भोर तक सभी को किसी न किसी रूप में पूजकर संरक्षित किया जाता है। तुलसी, नीम, धरती, नदी व हमारा संतोष.. हमारी माताएं हैं। सूर्य – हमारा पिता और मकरसक्रान्ति व छठ – हमारे सूर्य पर्व हैं। गंगावतरण – हमारा गंगा दशहरा है।... हमारा नदी पर्व! बसंतपंचमी – सबसे सुन्दर ऋतु का स्वागत पर्व!! मकर संक्रान्ति का सामूहिक स्नान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास के अवसर हैं। लोहड़ी–होली पर व्यापक अग्निदहन तापमान परिवर्तन के वाहक हैं। भीतलाश्टमी–तुलसी विवाह आदि वनस्पति पूजन की तिथियां हैं, तो दैनिक हवन व यज्ञ...वायु को भाुद्ध करने के नित्य आयोजित पर्यावरण संरक्षण के अवसर।

भारत की नदियों पर आसन्न संकट के अनेक कारणों में से एक कारण मैं यह मानता हूं गुरुओं और अपने पुरखों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान को पोंगा और पिछड़ा कहकर हम उस पर धूल डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम 'कंकर–कंकर में भांकर' के विज्ञान को भूल गये हैं। भूल गये हैं कि शिवलिंग के रूप में पूजे जाने वाले पत्थरों से टकराकर ही नदी का पानी जिंदा रहता है। पत्थरों से टकराने के कारण ही प्रवाह में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया सतत् होती रहती है। यह प्रक्रिया नदी जल की जैव ऑक्सीजन मांग (बीओडी) को कम बनाये रखने में सहायक होती हैं। इन पत्थरों के बीच ही जीवों के अंडे–बच्चे सुरक्षित रह पाते हैं। नदी की रेत एक स्पंज की भांति होती है। यह रेत ही हमारे लिए पानी का भंडार संजोकर रखाती है।

हम भूल गये हैं कि नदी सिर्फ पानी नहीं होती। नदी–एक संपूर्ण और पोषक जैविक प्रणाली होती है। जीव, वनस्पति, तलछट, उसके कटाव, ढाल और सूर्य का प्रकाश मिलकर भिन्न नदियों में भिन्न गुणों का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमने नदियों को मां कहा – इसीलिए एक ही पर्वत से निकलने के बावजूद यमुना... गंगा जैसी अक्षुण्णता नहीं है।

हम कृत्यों के हिसाब से आरक्षित क्षेत्रों की मर्यादा को भी भूल गये। भूल गये कि हरिद्वार का मतलब ही है – 'हरि क्षेत्र का प्रवेश द्वार'। सघन वनक्षेत्र होने के कारण हरिद्वार से ऋषिकेश तक का इलाका कभी ऋषियों की तपस्थली के रुप में आरक्षित था। इसके ऊपर का क्षेत्र दैव कृत्यों के लिए आरक्षित था। इसमें दानवी व मानवी गतिविधियों के लिए कोई जगह कभी नहीं थी। इसीलिए हमने इस इलाके को देवभूमि कहा – उत्तराखण्ड! कैलाश मानसरोवर व उनके भौव क्षेत्र का दायरा हमें मालूम ही है। राजा हिमाचल और उनकी पुत्री देवी पार्वती के संदर्भों को हम जानते ही हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर की आदिवासियों की बेमिसाल खूबसूरती देख यह भरोसा करना सहज है कि आज का किन्नौर ही कभी इन्द्र के दरबार में नृत्य करने वाले किन्नरों का क्षेत्र रहा होगा।

सच है! जब तक देवभूमि मे दानवी कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं रही, तब तक देवभूमि सचमुच स्वर्ग ही थी। हम मानवों के दानवी कृत्यों के कारण ही मां गुस्साने पर मजबूर हुई। पर्वतों के रूप में रक्षक बनकर खड़े शिवगणों को बारूद लगाकर नश्ट करने का परिणाम भी हमने भुगता। हमने जंगल नहीं, शिव की जटायें काटी।

हमने सोचा ही नहीं कि गंगावतरण से पहले शिव ने गंगा को अपनी विशाल केशराशि में क्यों संजोया ? राजा भगीरथ के पीछे सिर्फ एक ही धारा क्यों प्रवाहित की ? दरअसल शिव की जटायें कुछ और नहीं, बल्कि पहाडों पर फैली विशाल वनराशि ही हैं। वनराशि के खुलते ही गंगा की चेतावनी सच हुई – '' भगीरथ! मेरा प्रवाह यह धरा रोक नहीं सकेगी।'' ऐसी अनेक चेतावनियों के भूलने का नतीजा है देवभूमि में गत वर्ष आई दुःखद आपदा। संस्कृति के निर्देशों को नकार कर बसी सभ्यतायें विकास की बजाय अंततः विनाश का सबब बनती हैं; यह नजारा हम सबने देखा। जब हमारी गतिविधियां ही असभ्य हों, तो सभ्यता पर संकट आया भी तो क्या आश्चर्य!

चातुर्मास का करें उपयोग

भारत के हर हिस्से में आज भी भाादी–ब्याह के मौके पर तालाब व कुआ पूजन की परंपरा मौजूद है। सोचिए ! यदि तालाब–कुंए नहीं बचे, तो क्या हम हैंडपम्प, ट्यूबवैल या कुआ पूजकर परंपरा का पालन करेंगे ? गंगाजल जिस कदर प्रदूषित होता जा रहा है। आगे इसकी अक्षुण्ण्ता बची रहेगी; इसमें संदेह है। क्या आगे भी मृत्यु पूर्व दो बूंद गंगाजल की कामना पूरी होती रहेगी? इसमें भी संदेह ही है। सोचिए! हम कैसे संस्कारवान हैं? हम अपनी पीढियों को कैसी परंपरा और संस्कृति देकर जायेंगे ? सचमुच यह बहुत दुःखद होगा! यदि हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, तो हम कुछ ऐसे संकल्प लें, ताकि भारत की भारतीयता भी कायम रहे और इस बहाने हमारे जीवन मूल्य तथा जीवंतता भी। ऐसे संकल्पों के लिए चौमासे में गुरु चरणों के सानिध्य से अच्छा अवसर कोई और नहीं हो सकता। आइये, इस चौमासे में यह कर दिखायें। ❑

देशी भाषाओं में हो भर्ती परीक्षाएं

जनता की दृष्टि से इसका क्या अर्थ निकला? यही कि देश के लगभग 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों का शासन–संचालन से कोई लेना–देना नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के खर्चीले स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। सरकारी नौकरियों पर सिर्फ मुट्ठीभर लोगों का कब्जा बना रहेगा। शहरी, मालदार और अंग्रेजीदां लोगों का! देश के गरीब, ग्रामीण, वंचित, पिछड़े लोग नरेंद्र मोदी के राज में भी क्या वैसे ही रहेंगे, जैसे अंग्रेजों के राज में रहते आए थे?

■ **वेदप्रताप वैदिक**

संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती–परीक्षा में 'सीसेट' के प्रश्न–पत्रों का इतना तगड़ा विरोध होगा, इसका अंदाज न तो पिछली सरकार को था और न ही वर्तमान सरकार को। पिछले साल दिल्ली के मुखर्जी नगर में जब इन छात्रों की पहली सभा को मैंने संबोधित किया था तो मुझे ऐसा जरुर लगा था कि यह आंदोलन पिछले कुछ हिंदी आंदोलनों की तरह बीच में ही ठप्प नहीं होगा। इसका कारण था। आंदोलनकारी छात्रों का भविष्य इस आंदोलन से सीधा जुड़ा हुआ था। लगभग दस लाख छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। सरकार की इन भर्ती–परीक्षाओं में अंग्रेजी का इतना बोलबाला है कि हिंदी माध्यम से पास होने वाले छात्रों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। पिछले साल 1122 लोग चुने गए, जिनमें से सिर्फ 26 हिंदी वाले थे। शेष सभी भारतीय भाषाओं के सिर्फ 27 लोग चुने गए यानि किसी भाषा के सिर्फ एक–दो आदमी सरकारी नौकरी में भर्ती हुए और किसी भाषा के एक भी नहीं! क्या दुनिया के किसी स्वतंत्र राष्ट्र में कभी ऐसा होता है? भारत की यह स्थिति तो गुलाम राष्ट्रों से भी बदतर है।

यह मामला सिर्फ हिंदी का नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं का है। जब मैंने 1965 में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पीएच.डी. शोधग्रंथ अपनी मातृभाषा (हिंदी) में लिखने की मांग की तो संसद में जबर्दस्त हंगामा हो गया। कई बार संसद ठप्प हुई। महिनों बहस चली। आखिर उच्च शोध के लिए भारतीय भाषाओं के द्वारा खुले। उसी समय संसद में यह बहस भी चली कि सरकारी नौकरियों की भर्ती–परीक्षाएं सिर्फ अंग्रेजी में क्यों होती हैं, भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं? एक के बाद एक कई आयोग बने लेकिन इन परीक्षाओं में बरसों–बरस अंग्रेजी का रुतबा ज्यों का त्यों बना रहा। लगभग 15 साल तक मेरे कुछ साथियों ने लगातार आयोग के द्वार पर धरना भी दिया। 12 मई 1994 को हमारे समर्थन में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह, अटलबिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल, पासवान, नीतीशकुमार तथा अन्य कई नामी–गिरामी नेता भी शामिल हुए। आयोग की परीक्षाओं में धीरे–धीरे भारतीय भाषाओं को छूट तो मिली लेकिन अंग्रेजी की दमघोंटू अनिवार्यता अभी तक बनी हुई है।

सरकार की इन भर्ती–परीक्षाओं में अंग्रेजी का इतना बोलबाला है कि हिंदी माध्यम से पास होने वाले छात्रों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। पिछले साल 1122 लोग चुने गए, जिनमें से सिर्फ 26 हिंदी वाले थे। शेष सभी भारतीय भाषाओं के सिर्फ 27 लोग चुने गए यानि किसी भाषा के सिर्फ एक–दो आदमी सरकारी नौकरी में भर्ती हुए और किसी भाषा के एक भी नहीं! क्या दुनिया के किसी स्वतंत्र राष्ट्र में कभी ऐसा होता है? भारत की यह स्थिति तो गुलाम राष्ट्रों से भी बदतर है।

यही अनिवार्यता अब छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलूरु तथा अन्य प्रांतीय राजधानियों में भी काफी सुगबुगाहट है। वर्तमान छात्र–आंदोलन का लक्ष्य सीमित है। यह केवल 'सीसेट' के प्रश्न–पत्रों को हटवाना चाहता है। यह 'सीसेट' क्या बला है? यह भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का अंग्रेजी नाम है। इसका पूरा नाम है– 'सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट'। यानि सरकारी नौकरियों में भर्ती होनेवालों के बौद्धिक रुझान, मानसिक स्तर, सामान्य ज्ञान आदि की परीक्षा! इस प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य अच्छा है लेकिन इस प्रश्न–पत्र में तकनीकी, वैज्ञानिक, गणितीय और व्यावसायिक प्रश्नों की भरमार रहती है। उसके कारण, जो छात्र इन्हीं विषयों को पढ़कर आते हैं, वे उन प्रश्नों को दनादन हल कर लेते हैं और जो छात्र कला, सामाजिकी और

मानविकी विषय आदि पढ़कर आते हैं, वे बगले झांकते रहते हैं। यानि सीसेट प्रश्न–पत्रों का मूल चरित्र ही प्रश्नों के घेरे में है। इसके अलावा जो सवाल हिंदी में पूछे जाते हैं, उनकी हिंदी माशा अल्ला होती है, क्योंकि वह हिंदी नहीं होती है। अंग्रेजी का भ्रष्ट अनुवाद होता है। गूगल का उटपटांग अनुवाद दे दिया जाता है। जैसे 'स्टील प्लांट' का अर्थ 'लोहे का पौधा' ओर 'वॉचडॉग' का अर्थ 'कुकरदृष्टि' कर दिया जाता है। अब छात्र क्या करें? जब प्रश्न ही उनके पल्ले नहीं पड़ेगा तो वे उत्तर क्या देंगे? उन्हें हिंदी या मातृभाषा के माध्यम से परीक्षा देने की छूट जरुर है लेकिन यह छूट भी क्या छूट है। सारे प्रश्न–पत्र सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में क्यों होते हैं? अन्य भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं? इसके अलावा 200 नंबरों के दो प्रश्नपत्रों में 22 नंबर के सवाल अंग्रेजी में होते हैं। उनके जवाब भी अंग्रेजी में देने होते हैं। इन 20–22 नंबरों का घाटा जिन छात्रों को होता है, वे तो फिजूल में ही मारे गए न! भर्ती–परीक्षा में तो एक–एक नंबर कम या ज्यादा आने पर छात्रों का भविष्य बनता–बिगड़ता है। आप उनकी योग्यता, कार्यक्षमता और बौद्धिक रुचि की परीक्षा ले रहे हैं या यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अंग्रेजी की रंटत–विद्या में निष्णात हैं या नहीं?

अंग्रेजी की रटंत–विद्या से पैदा हुई नौकरशाही ने आजाद भारत में क्या गुल खिलाए हैं, यह सबको पता है। हमारे बड़े–बड़े नेता इसी अंग्रेजी की दहशत के कारण अपने नौकरशाहों के नौकर बने रहते हैं। कानून बनाने वाले सांसदों को कानून की धाराओं के सही अर्थ मालूम नहीं होते, क्योंकि वे अंग्रेजी में बने होते हैं। हमारी अदालतों में बरसों तक करोड़ों मुकदमे क्यों लटके रहते हैं? उसमें बहुत–सी भूमिका अंग्रेजी की भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह मामला सिर्फ 'सीसेट' के प्रश्न–पत्रों का नही है, संपूर्ण भारत की शासन–व्यवस्था का है। यदि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी छाई हुई है तो आप उसे भर्ती–परीक्षा से कैसे हटा सकते हैं? सभी पिछली सरकारों ने इस मजबूरी के सामने घुटने टेके हैं लेकिन क्या मोदी सरकार भी यही करेगी?

मोदी सरकार ने छात्रों की मांग पर आवश्यक ध्यान दिया है। तुरंत कमेटी बैठाई लेकिन कमेटी और आयोग ने टके–सा जवाब दे दिया है। वे कुछ भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं। 24 अगस्त को परीक्षा होनी है। इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ किया तो कई छात्र आयोग के खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं। नौकरशाह यही कहेंगे लेकिन मोदी–सरकार की यह अग्नि–परीक्षा है। या तो वह कोई बीच का रास्ता निकाले या सीसेट को ही रद्द कर दे। सिर्फ सीसेट को रद्द करना ही काफी नहीं है, वह अंग्रेजी के 'क्वालिफाइंग' पर्चे को भी रद्द करे। इस अंग्रेजी की अनिवार्य परीक्षा के नंबर चाहे न जोड़े जाते हों लेकिन यदि इसमें अनुत्तीर्ण होनेवाले छात्रों के शेष पर्चे जांचे ही नहीं जाते हों तो क्या माना जाएगा? क्या यह नहीं कि भारत सरकार के अफसर बनने की सिर्फ एक ही योग्यता है– आपका अंग्रेजी ज्ञान! आपकी बाकी सभी योग्यताएं बेकार हैं।

जनता की दृष्टि से इसका क्या अर्थ निकला? यही कि देश के लगभग 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों का शासन–संचालन से कोई लेना–देना नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के खर्चीले स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। सरकारी नौकरियों पर सिर्फ मुट्ठीभर लोगों का कब्जा बना रहेगा। शहरी, मालदार और अंग्रेजीदां लोगों का! देश के गरीब, ग्रामीण, वंचित, पिछड़े लोग नरेंद्र मोदी के राज में भी क्या वैसे ही रहेंगे, जैसे अंग्रेजों के राज में रहते आए थे?

नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वह करिश्मा दिखाया था, जो भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। उन्होंने विदेशी नेता से अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बात की. . .वे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी में ही बोलेंगे लेकिन यदि संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर यही ढर्रा चलता रहा तो मोदी की छवि को गहरा धक्का लगेगा। यदि मोदी सरकार समस्त भारतीय भाषाओं को भर्ती–परीक्षाओं में उनका उचित स्थान दिलवा दें तो वे गुजरातियों और हिंदीभाषियों ही नहीं, समस्त भारतीयों के प्रेम–पात्र बन जाएंगे।

नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वह करिश्मा दिखाया था, जो भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। उन्होंने विदेशी नेता से अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बात की। उन्होंने सरकारीतंत्र को भी हिंदी में काम करने का आदेश दिया था। वे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी में ही बोलेंगे लेकिन यदि संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर यही ढर्रा चलता रहा तो मोदी की छवि को गहरा धक्का लगेगा। यदि मोदी सरकार समस्त भारतीय भाषाओं को भर्ती–परीक्षाओं में उनका उचित स्थान दिलवा दें तो वे गुजरातियों और हिंदीभाषियों ही नहीं, समस्त भारतीयों के प्रेमपात्र बन जाएंगे।❑

विकास का मोदी मंत्र

अपनी ताकत को पहचाने देश

अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों ने तकनीकी सामर्थ्य हासिल करके ही अपना विकास किया है और विश्व बाजार में हावी है। लेकिन इस बात को हमारे देश के अग्रणी नेताओं ने नहीं समझा है और न ही हमारे प्रमुख उद्योगपतियों और जनता ने जाना है। इसकी अहमियत उनकी सोच के बाहर लगती है। नेहरू के बाद नरेन्द्र मोदी पहले राजनेता हैं, जिन्होंने इसकी अहमियत को समझा है। वे जानते हैं कि यदि भारत को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनना है और अपनी विकास दर बढ़ानी है तो अपनी मूल तकनीकी क्षमता को विकसित करना होगा।

■ निरंकार सिंह

धर्म, दर्शन, कला, उद्योग, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में भारत शताब्दियों तक विश्व के मानचित्र पर चमकता रहा है। औद्योगिक क्रांति से पहले तक विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी 25 फीसदी थी। ब्रिटिश शासनकाल में यह घटकर 13 फीसदी हो गयी और आजादी के समय तीन फीसदी पर आ गयी। आज विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी एक फीसदी के आसपास है।

अब अगर देश को समृद्धशाली और विकसित बनाना है तो उसे अपने घरेलू उद्योग धंधों को मजबूत बनाकर विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से दुनिया में एक बार फिर भारत की चर्चा होने लगी है। मोदी देश की ताकत को पहचानते हैं और विकास का उनका एक अपना नजरिया है। उन्होंने इसके लिए टैलेंट, टेक्नालॉजी, ट्रेडिशन, ट्रेड और टूरिज्म (5टी) पर जोर दिया है।

सचमुच भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की कमी नहीं है। अपने उद्योग धंधों और कृषि का विज्ञान एवं तकनीक के जरिए आधुनिकीकरण करके विश्व बाजार का वह एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन आज जब दुनिया के बाजार पर हम नजर डालते हैं तो भारत सहित तमाम देशों में चीनी सामानों की भरमार दिखाई देती है। आर्थिक मोर्चे की जंग ने एक नये प्रकार के युद्ध का क्षेत्र तैयार किया है। यह युद्ध अपनी तकनीक और कौशल के द्वारा दुनिया के बाजार पर कब्जा करने के लिए लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में चीन ने दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ दिया है। विज्ञान और तकनीक को विकास का हथियार बनाकर तरक्की करने वाला दूसरा देश जापान है।

सन् 1945–46 के परमाणु युद्ध में जापान लगभग बरबाद हो गया था और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी उसके पास कोई खास चीज नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं की मार भी वह झेलता रहा है। लेकिन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विकास करके उसने अपने उद्योग धंधों का जो कायाकल्प किया है उसकी मिसाल खोजनी मुश्किल है। लेकिन हमारे देश के नेताओं और जनता ने इन देशों से कुछ भी नहीं सीखा। आज दुनिया में हमारी गिनती सबसे भ्रष्ट और पिछड़े देशों में होती है। चीन की आबादी भारत से अधिक है और उसके पास कृषि योग्य भूमि भी भारत से कम है। पचास–साठ साल पहले चीन के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसका उदाहरण पेश जाए। लेकिन उसके नेताओं खासकर माओत्से तुंग और उसके बाद जियाबाओ के नेतृत्व में चीन का आधुनिकीकरण हुआ और आज भी जारी है।

सचमुच भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की कमी नहीं है। अपने उद्योग धंधों और कृषि का विज्ञान एवं तकनीक के जरिए आधुनिकीकरण करके विश्व बाजार का वह एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन आज जब दुनिया के बाजार पर हम नजर डालते हैं तो भारत सहित तमाम देशों में चीनी सामानों की भरमार दिखाई देती है।

हमने आर्थिक सुधार की नीतियों को तो लागू कर दिया पर अपनी नौकरशाही को अभी तक सुधार नहीं सके हैं। वैश्वीकरण के इस युग में सरकार और उसके तंत्र की भूमिका उत्प्रेरक की हो गयी है। हमारे उद्यमी दुनिया के बाजार का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिए जरूरी है कि सरकार नियामक की नहीं बल्कि सहायक की भूमिका निभाये क्योंकि विश्व बाजार में ऐसे–वैसे छुटभैयों के लिए कोई जगह नहीं है। जरा सोचिए – पिछली सदी में अपने नये

प्रवर्तनों से इतिहास बनाने वाली नामी–गिरामी कंपनियों को भला आज कौन याद करता है?

द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने में फार्चून 500 ब्रांड सूची की 10 शीर्ष कम्पनियों में से सात कंपनियां तो आज इस सूची में जगह तक नहीं पा सकी हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीई या टाटा जैसी कंपनियां समय और जरूरत के साथ अपने को निरन्तर बदलते हुए आज भी अग्रणी ब्रांड बनी हुई हैं। जैसे–जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया गति पकड़ती जा रही है, नई चुनौतियां और अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। नये बाजार, उत्पाद, मूल्य, कच्चे माल के नये स्रोत एवं वैविध्यपूर्ण प्रतिभाओं की खेप कुछ ऐसे नये अवसर हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चुनौती उभरते हुए विश्व व्यवसाय वातावरण की जटिलता है। अनन्त संभावनाओं में से उचित समय पर उचित अवसर का पता लगाना और तीव्र गति से उचित निवेश के साथ क्रियान्वयन आज की सबसे बड़ी चुनौती है।

लगातार विकास वृद्धि और कुशल नेतृत्व का चोली दामन का साथ है। दोनों को टिकाए रखने के लिए भारत की मजबूत कंपनियों को चाहिए कि वे अपने घरेलू माहौल के सुरक्षित आंगन से बाहर निकलें। वैश्वीकरण अब अपने पसंद की बात नहीं रही, बल्कि व्यावसायिक मजबूरी बन चुकी है। भारतीय उद्योगों के सामने आज यह एक अद्वितीय चुनौती है। स्पर्धात्मक उत्पादन के लिए एक आवश्यक शर्त है किफायती आर्थिक प्रबन्धन की व्यवस्था करना। भारतीय कंपनियां अपनी सीमाओं से बाहर जाकर यह हासिल कर सकती है। वास्तव में वैश्विक स्तर प्राप्त करने की चर्चा करना बड़ा आसान है। पर सचमुच कर दिखाना दूसरी बात है। उद्योगों के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। एक तो सभी मानदंडों पर खरा उतरना। दूसरी बात है निरन्तर परिवर्तन एवं नवीनता की क्षमता हासिल करना। यहीं पर लोगों अथवा कर्मचारियों का विशेष महत्व होता है। खासकर उस उद्योग में जिसकी सफलता उत्पाद प्रौद्योगिकी और आक्रामक विपणन टीम के सम्मिश्रण के साथ सहयोगी सेवाओं से तालमेल पर टिकी होती है।

वास्तव में विचार से समृद्धि आती है और विचार लोगों से ही उत्पन्न होते हैं। जितने अधिक जागरूक हमारे लोग होंगे, उतने ही चुस्त चौकन्ने हमारे उद्योग भी होंगे। शीर्ष बनने और टिके रहने के लिए आज की आवश्यकता है परिवर्तन, निरन्तर परिवर्तन और अपनी दृष्टि और उद्योगों का एक जटिल और वैश्वीकरण संसार की मांगों के साथ तालमेल कायम करना जरूरी हो गया है। इसके लिए अक्सर ग्राहक की जरूरतों पर पहले से अंदाजा लगाकर दौड़ में आगे रहना जरूरी हो जाता है।

यदि भारत को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनना है और अपनी विकास दर बढ़ानी है तो अपनी मूल तकनीकी क्षमता को विकसित करना होगा। तभी हम विश्व बाजार में दूसरे देशों का मुकाबला कर सकेंगे।

आज नेतृत्व उन्हें हासिल होगा, जो अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की क्षमता दिखायेंगे। केवल लाभ के मदों पर नहीं, बल्कि मानव संसाधन प्रबन्धन, प्रतिभाओं को अपने पास रखने, पर्यावरण सुरक्षा, समाज को प्रत्यक्ष लाभ और कुल मिलाकर सम्पूर्ण अनुकूलता – जैसे गैरवित्तीय मदों पर भी निरन्तर आगे बढ़ता रहना जरूरी है। भारत की क्षमताओं को देखते हुए जरा भी संदेह नहीं है कि भारतीय उद्योग, विश्व की सर्वश्रेष्ठ इकाईयों में गिने जाने की क्षमता रखता है। जरूरत इस बात की है कि सरकार आर्थिक सुधारों के साथ–साथ खुद अपना भी सुधार करे।

अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों ने तकनीकी सामर्थ्य हासिल करके ही अपना विकास किया है और विश्व बाजार में हावी है। लेकिन इस बात को हमारे देश के अग्रणी नेताओं ने नहीं समझा है और न ही हमारे प्रमुख उद्योगपतियों और जनता ने जाना है। इसकी अहमियत उनकी सोच के बाहर लगती है। नेहरू के बाद नरेन्द्र मोदी पहले राजनेता हैं, जिन्होंने इसकी अहमियत को समझा है। वे जानते हैं कि यदि भारत को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनना है और अपनी विकास दर बढ़ानी है तो अपनी मूल तकनीकी क्षमता को विकसित करना होगा। तभी हम विश्व बाजार में दूसरे देशों का मुकाबला कर सकेंगे। कोई भी देश उत्पादक देश बने बिना बहुत दिनों तक उपभोक्ता नहीं बना रह सकता है। इसलिए दूरगामी योजनाओं के जरिए अपने उद्योग धंधों को पूर्णतया सशक्त बनाने के लिए तकनीकी सामर्थ्य को हमें विकसित करना ही होगा। इसके अलावा देश के आर्थिक विकास का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डा. ए.पी.जे. कलाम ने देश को विकसित देश बनाने का पूरा खाका तैयार किया है। इस आधार पर और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत को विकसित देश बनाया जा सकता है। उसके पास संसाधनों और सामर्थ्य की कमी नहीं है। ❑

समाचार परिक्रमा

देश की एक नम्बर कंपनी बनी माइक्रोमैक्स

एक समय मोबाइल कंपनी पर बहुराष्ट्रीय कंपनी का वर्चस्व था परन्तु आज भारतीय मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स ने उन सबको पीछे छोड़कर नम्बर एक कंपनी बन गई है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटपाइंट रिसर्च के अनुसार अप्रैल–जून की तिमाही में माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 16.6 प्रतिशत रहा जबकि वही बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग का मार्केट शेयर 14.4 प्रतिशत रहा। एक ओर देश की कंपनियों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है परन्तु अधिकतर माइक्रोमैक्स के मोबाइल चाइना से बन कर आते है अगर यही मोबाइल देश में बनें तो काफी लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। ❑

भारत में है 14,800 से अधिक महाधनवान

न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रपट के अनुसार भारत में एक करोड़ डालर यानी 60 करोड़ रपए की सम्पत्ति वाले मल्टीमिलेनियर लोगों (महा धनवानों) की संख्या 14800 से अधिक है। सबसे अधिक करोड़पतियों की संख्या के लिहाज से भारत देश दुनिया में आठवें नंबर पर है। रपट के अनुसार अनुसार मुंबई में ऐसे महाधनी लोगों की संख्या 2,700 है। वही हांगकांग इस लिहाज से शीर्ष पर है और जहां 15400 महाधनी हैं। भले ही सबसे अधिक करोड़पतियों के लिहाज से भारत दुनिया में आठवें नंबर पर हो लेकिन मुंबई एकमात्र शहर है जिसे दुनिया के 30 शीर्ष शहरों में रखा गया है। ❑

रेलवे और रक्षा में भी एफडीआई की मंजूरी

बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने को मंजूरी देने के बाद अब केन्द्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत और रेलवे के ढांचागत क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव लंबे समय से लटका पड़ा था। संवेदनशील माने जाने वाले रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को मौजूदा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। इसमें शर्त रखी गई है कि रक्षा क्षेत्र में बनने वाले संयुक्त उद्यमों का नियंत्रण भारतीय हाथों में होगा। पिछली सरकार में सबसे पहले वाणिज्य मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया था, लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे रोक दिया। ❑

अर्थव्यवस्था को मिला विनिर्माण क्षेत्र का सहारा

वित्तीय सेवा कंपनी एचएसबीसी के मासिक सर्वे के अनुसार भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई में 17 महीने के उच्चतम स्तर पर रही। विनिर्माण क्षेत्र के जोरदार प्रदर्शन से भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी है। सर्वे के अनुसार चुनावों के बाद कारोबार जगत का विश्वास बढ़ा तथा घरेलू और विदेशी कंपनियों से मिल रहे 'आर्डर की भरमार' से जुलाई में गतिविधि में तेजी आई। ❑

ब्याज दरें न घटने से उद्योग जगत निराश

भारतीय उद्योग जगत को एक बार फिर से निराश हुई है। उद्योग जगत को उम्मीद थी कि आरबीआई ब्याज दरों में कमी करेगी लेकिन आरबीआई द्वारा नीतिगत ब्याज दरों को कम न करने के फैसले से भारतीय उद्योग जगत निराशा हुआ है। उद्योग जगत के अनसार कर्ज के महंगा होने के कारण उद्योग अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना से हिचक रहे हैं। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, 'ऐसे समय में जबकि औद्योगिक वृद्धि नरम है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कम हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि मानसून के हालात में सुधार के कारण मुद्रास्फीति का जोखिम धीरे–धीरे कम हो रहा है, आरबीआई इस मौके का इस्तेमाल ब्याज दरों में कटौती के लिए कर सकता था।' ❑

ऑनलाइन शापिंग में सबसे आगे दिल्ली

आनलाइन शॉपिग देश में धीरे–धीरे आकर्षण का केन्द्र बनती जा रही है। उद्योग मंडल एसोचैम की एक सर्वे में यह सामने आई की दिल्ली ऑनलाइन शॉपिंग करने में सबसे आगे है। सर्वे में दिल्ली के बाद मुंबई (60 प्रतिशत), अहमदाबाद (52 प्रतिशत) और बेंगलुरू (50 फीसद) का स्थान है। एसोचैम महासचिव डीएस रावत ने ऑनलाइन खरीदार इसलिए बढ़ी है क्योंकि आज शहर में सड़कों और बाजारों की भीड़ और रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच बाजार जाना मुश्किल है इसलिए आज ऑनलाइन शॉपिग लोग ज्यादा कर रहे हैं। ❑

34 प्रतिशत बढ़े रोजगार आठ साल में

छठी आर्थिक गणना के अनुसार देश में रोजगार में लगे लोगों की संख्या पिछले आठ साल में 2013 तक 34.35 प्रतिशत बढ़कर 12.77 करोड़ हो गई। वर्ष 2005 के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में रोजगार 2013 में 37.46 प्रतिशत बढ़कर 6.14 करोड़ रहे। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में 31.59 प्रतिशत बढ़कर 6.62 करोड़ रहे। वही महिलाओं का अनुपात 2013 में बढ़कर 25.56 प्रतिशत हो गया जो वर्ष 2005 में करीब 20 प्रतिशत था। शहरी क्षेत्र में महिला कर्मचारियों का अनुपात 19.8 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 30.9 प्रतिशत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन प्रणब सेन ने कहा, 'आठ साल में (2013 तक) रोजगार में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो अच्छा है। इसका मतलब है कि रोजगार सालाना चार प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ा है जबकि आबादी दो प्रतिशत की दर से बढ़ी।' ❑

दूरसंचार क्षेत्र में आया 1.5 अरब डालर का एफडीआई

दूरसंचार क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों अप्रैल मई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कई गुना बढ़कर 1.5 अरब डालर पर पहुंच गया है। इससे पूरे वित्त वर्ष यानी 2013–14 में दूरसंचार क्षेत्र में 1.3 अरब डालर का एफडीआई आया था। दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई में रेडियो पेजिंग, सेल्युलर मोबाइल, बेसिक दूरसंचार सेवाओं में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में मात्र 90 लाख डालर का एफडीआई आया था। जीएसएम उद्योगों के संगठन सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज के अनुसार, 'स्पेक्ट्रम नीलामी के भुगतान, बहुराष्ट्रीय कंपनी वोडाफोन द्वारा अपनी भारत में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने, नेटवर्क में निवेश जैसे कारणों से दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई बढ़ा है।' ❑

देश में बढ़ रहा विदेशी मुद्रा भंडार

देश में विदेशी मुद्रा के सकल भंडार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते जुलाई माह में 81 करोड़ 32 लाख डालर बढ़कर 317 अरब 85 करोड़ डालर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों में बताया गया कि विदेशी मुद्रा का रिकार्ड स्तर वर्ष 2011 के अंत में 321 अरब डालर का है। इससे पहले के सप्ताह में यह 64 करोड़ 32 लाख डालर बढ़कर 317 अरब तीन करोड़ डालर पर पहुंचा था। जबकि सोना भंडार 20 अरब 63 करोड़ 40 लाख डालर पर टिका रहा। ❑

विश्व बैंक भारत को देगा 18 अरब डॉलर का ऋण

विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम कहा कि अगले तीन साल में हम सरकारी परियोजनाओं के लिए भारत को 15–18 अरब डालर का ऋण देंगे और निजी परियोजनाओं (आईएफसी) के लिए कम से कम 3.5 अरब डालर उपलब्ध कराएंगे।' विश्व बैंक समूह का सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्यमों और परियोजनाओं के लिए ऋण और सलाह प्रदान करता है। भारत विश्व बैंक समूह का सबसे बड़ा ग्राहक है। ❑

साइबर क्राइम कारपोरेट कंपनियों के लिए सबसे बड़ी समस्या

एक निजी परामर्श कंपनी केपीएमजी की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश में हर जगह कंपनियों के लिए साइबर अपराध बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एक सर्वे के अनुसार करीब कंपनी जगत के 89 प्रतिशत अधिकारियों का मानना है कि साइबर हमलों से न केवल वित्तीय लेन–देन की हानि होती है बल्कि बाजार में छवि और प्रतिष्ठा भी मारी जाती है। साइबर क्राइम सर्वे 2014 में 89 प्रतिशत प्रतिभागियों ने साइबर अपराध को बड़ी चुनौती माना। ❑

देश में बढ़ रहा नकली दवाओं का धंधा

वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में नकली और अप्रामाणिक दवाओं का कारोबार आगामी तीन साल में ही 10 अरब डालर के पार पहुंच जाने का अनुमान है। वर्तमान में यह 4.25 अरब डालर के आसपास है। एसोचैम द्वारा 'भारत में नकली एवं जाली दवाओं का फैलता व्यावसाय' विषय पर तैयार दस्तावेज के अनुसार दुनिया में जेनरिक दवाओं का सबसे बडा विनिर्माता, भारत आज तेजी से नकली और कम गुणवत्ता की दवाओं का बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। रपट में कहा गया है कि दवा विनिर्माण उद्योग में उपयुक्त नियमन का अभाव दवा निरीक्षकों की कमी और दवा की सत्यता का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं की कमी जैसी कुछ प्रमुख वजह हैं, जिनसे नकली दवाओं का उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। ❑

डाकिया बताएगा उन्नत खेती के तरीके

गांव में डाकिया चिट्ठी के बजाय खेती–किसानी से जुड़ी उपयोगी जानकारी लेकर आएगा। देश भर में फैले डाकघरों के बेहतर इस्तेमाल के लिए कृषि और डाक विभाग मिलकर डाकिया को एक नई योजना बना रहे हैं। इसके तहत डाकिया को जमीन स्तर पर कृषि से जुड़ी योजनाओं और तकनीक के प्रसार का जिम्मा सौंपा जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) के निदेशक डॉ. एच एस गुप्ता के अनुसार अब तक 14 राज्यों के 55 जिलों में 110 डाकघरों के जरिए कृषि से जुड़ी अहम जानकारियों किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी को देखते हुए अब देश भर में इस लागू करने की तैयारी है। ❑

18 हजार कर्मियों की छंटनी करेगा माइक्रोसॉफ्ट

माइक्रोसॉफ्ट (अमरीकी कंपनी) अगले साल तक वैश्विक स्तर पर अपने करीब 18,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईइो सत्या नाडेला ने कहा कि इस छंटनी से भारत पर कोई खास असर नहीं होगा। सत्या नाडेला के अनुसार भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है और माइक्रोसॉफ्ट की कोशिश क्लाउड और मोबाइल डिवाइसेस का विस्तार करने की है। माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में यह एक सबसे बड़ी छंटनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल माह में 7.2 अरब डॉलर के सौदे के तहत नोकिया के हैंडसेट कारोबार का अधिग्रहण किया था। माइक्रोसॉट कंपनी नोकिया डिवाइसेस और सर्विसेज से करीब 12,500 कर्मचारी कम करेगी। ❑

हिन्दी में होगी इंटरनेट की पहचान

आने वाले दिनों में अब इंटरनेट की दुनिया में भारत की हिंदी भाषा में अपनी अलग पहचान होगी। मोदी सरकार 15 अगस्त को हिंदी भाषा में भारत डोमेन लांच करने की तैयारी में है। यानी आप डॉट कॉम की जगह देवनागरी लिपि में डॉट भारत लिखकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत डोमेन को 15 अगस्त को देश को समर्पित करने की तैयारी है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के चीफ एक्जीक्यूटिव गोविंद ने एक प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि सरकार के तरफ से हिंदी भाषा में भारत डोमेन को लांच करने का प्रस्ताव आया है इसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत डोमेन को हिंदी भाषा में लांच करने का मकसद देश की एक बड़ी आबादी को जो हिंदी भाषी है और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उस तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना है। सरकार इस कदम के जरिए ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में खास इंटरनेट के माध्यम से बेहतर गवर्नेंस को भी मजबूत करना चाहती है।❑

कालाधन पर स्विटजरलैंड ने दिया बातचीत का न्यौता

भारत द्वारा स्विटजरलैंड पर कालेधन की जांच को लेकर बढ़ाए जा रहे दबाव के बीच वहां के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को इन मुद्दों पर आगे विचार–विमर्श के लिए बर्न में बातचीत का न्योता दिया है। स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उसने भारत को कुछ सकारात्मक जबाव पहले ही भेज दिए हैं। ❑

दुनिया में 2.2 अरब लोग गरीबी में जीने को मजबूर

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी की ओर से मानव विकास पर जारी सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के करीब 2.2 अरब लोग गरीबी में जीने को मजबूर है और करीब 1.5 अरब लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हैं जिनमें काम करने की स्थितियां बेहद खराब हैं। रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों की सरकारों को घोर गरीबी, अशिक्षा, घटती जीवन प्रत्याशा के गंभीर दुष्परिणाम के प्रति आगाह करते हुए कहा गया है कि इन्हें दूर करने के लिए वे एकजुट प्रयास करें। ❑

इबोला अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैली बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इबोला एक भयंकर महामारी का रूप ले चुका है ऐसे में पूरी दुनिया को एकजुट होकर इससे निपटने के उपाय करने होंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इबोला एक खतरनाक व जानलेवा वायरस है। यह संक्रमित व्यक्ति के पसीने, खून, मूत्र या लार के आंख, कान, नाक के संपर्क में या संक्रमित से यौन संबंध बनाने से फैलाता है।

भारत में डरने की जरूरत नहीं–केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अनुसार इससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक भारत में इस विषाणु की मौजदूगी की कोई खबर नहीं है और सरकार तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। ❑